tourist centre. The water falling in the falls can be exploited for drinking water.

The integrated drinking water scheme at Hogenakal, which would entail considerable expenditure, will solve the drinking water problem of Dharmapuri and Krishnagiri districts. Since the State was reeling under drought and recent tsunami disaster, the State is not in a position to invest the money. But the State is taking all steps to implement the project.

Only with the assistance of Central Government, the project can be implemented. Although the matter was raised in Parliament several times by me, yet no action has been taken by the Central Government.

There are no major industries in the Dharmapuri and Krishnagiri districts and, as such, there are no employment opportunities. Agriculture is the main occupation there. Since there is no water, agricultural operations have been affected. People may be forced to migrate to other places.

It is estimated that about Rs. 1300 crore will be involved in the implementation of this project. I urge upon the Central Government to fully assist the State Government in this regard or obtain the World Bank loan at the earliest. Thank you, Sir.

GOVERNMENT BILLS

The Hire-Purchase (Repeal) Bill, 2005.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal the Hire-Purchase Act, 1972.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I introduce the Bill.

STATUTORY RESOLUTION

Seeking approval of the proclamation issued by the President in relation to state of Bihar.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, I rise to move:

That this House approves the Proclamation issued by the President on the 7th March, 2005, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Bihar.

Before I explain the circumstances in which the Government has had to bring this Resolution to this august House, may I state that the Constitution framers had recognized that the provisions of article 356, among others, were necessary to meet the exceptional situation where the break down of the constitutional machinery occurs in a State.

Now, may I take this opportunity to narrate briefly the circumstances prevailing in Bihar which led to the imposition of President's rule in the State.

Elections to the Legislative Assembly of Bihar were held on 3rd, 15th and 23rd of February, 2005. The number of seats won by different political parties in the State, as emerged after counting on 27th February, 2005 are as follows:—

Sl. No.	Names of the Party	No. of Seats won
1.	Rashtriya Janata Dal	75
2	Janata Dal (United)	55
3.	Bharatiya Janata Party	37
4	Indian National Congress	10
5.	Bahujan Samaj Party	2
6.	Lok Janshakti Party	29
7.	Communist Party of India	3
8.	Communist Party of India (M)	1
9.	Communist Party of India (ML)	7
10.	Nationalist Congress Party	3
11	Samajwadi Party	4
12.	Independents	17
	TOTAL :	243

Smt. Rabri Devi tendered her resignation as Chief Minister on 28th February, 2005. She was asked to continue by the Governor till alternative arrangements were made. The Governor of Bihar kept a watch on the political situation. He assessed the claims made for formation of a popular

Government by two major coalitions and finally sent a report to the President on 6th March, 2005. As per the Governor's report, the RJD and its alliance had the support of 92 MLAs, whereas the NDA alliance also had the support of 92 MLAs.

A delegation of the members of LJP met the Governor on 28th February, 2005 and submitted a letter stating that they would neither support the RJD nor the BJP in the formation of the Government in Bihar. In a subsequent meeting with the Governor, they reiterated their stand. The Governor, in his report already tabled in this august House, along with the President's Proclamation, gave a detailed account of his meetings with representatives of various political parties/alliances and some independent MLAs, and an analysis of how no combination of political parties or a coalition was able to form a Government, which would have the confidence of the majority of the members in the newly-constituted Assembly.

Briefly, due to claims and counter-claims of various parties and alliances, without any supporting evidence, the Governor in his report stated that he had explored all the possibilities and he was fully satisfied that no political party or coalition of parties or groups was able to substantiate a claim of majority in the Legislative Assembly. According to the Governor, it was a case of complete inability of any political party to form a stable Government commanding the confidence of the majority of the Members. Therefore, the Governor recommended that the newly constituted Assembly be kept in suspended animation for the present and requested the President of India to take appropriate action, as required.

The Budget of the State of Bihar for the year 2005-06 was yet to be passed. It would not have been appropriate for the caretaker Government to take any action regarding the passing of the Budget or a Vote-on-Account. There would have been serious financial and constitutional crises if the Budget or the Vote-on-Account were not passed before 31st March, 2005.

The Union Cabinet, therefore, in its meeting held on 7th March, 2005, considered the report of the Governor and the situation prevailing in Bihar, and decided to recommend to the President to issue a Proclamation under article 356 of the Constitution for imposing the President's rule in the State and keeping the State Legislative Assembly under suspended animation.

On 7th March, 2005, the President was pleased to issue a Proclamation

under article 356(1) of the Constitution imposing the President's rule in relation to the State of Bihar and keeping the State Legislative Assembly under suspended animation.

With these words, I commend, Sir, that the Proclamation issued on 7th March, 2005 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Bihar be approved by this august House. A copy of the Proclamation, as stipulated under the Constitution, along with consequential Order, is placed on the Table of the House. In keeping with the conventions, a copy of the Governor's report recommending issuance of the Proclamation is also placed on the Table of the House.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): The discussion will start after lunch. The House is adjourned for lunch till 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at forty-three minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled after lunch at two of the clock,

Mr. Deputy Chairman in the Chair.

श्री उपसभापति: श्री रवि शंकर प्रसाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): माननीय उपसभापति जी, मैं कृतज्ञ हूं कि आपने माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा बिहार के राष्ट्रपति शासन पर अधिसूचना की संस्तुति के बारे में जो प्रस्ताव लाया गया है, उस पर मुझे बोलने का वक्त दिया है। बिहार में यह राष्ट्रपति शासन आठवीं बार लग रहा है। पहली बार संभवत: 29 जून, 1968 में लगा था। 5 मार्च, 2005 को आंठवीं अधिसूचना जारी हुई है, लेकिन पूर्व की अधिसूचनाओं और इसमें एक बहुत बड़ा मौलिक अंतर है। यह पहली बार हुआ है कि विधान सभा के चुनाव के तुरंत बाद राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हुई कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। चुनाव होते हैं लोकप्रिय सरकार चुनने के लिए। बिहार के लोगों की चाहत थी कि लोकप्रिय सरकार बने, मत भी पड़े थे, लेकिन जो नतीजों का गणित था, उसके हिसाब से यह प्रस्ताव आया। शायद यह पहली प्राथमिकता का तो विकल्प नहीं हैं, लेकिन एक परिवर्तन जरूर है। माननीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि महामहिम राज्यपाल जी ने सारे विकल्पों को खोजने की कोशिश की। मैं एक टिप्पणी अवश्य करना चाहूंगा कि संविधान की धारा 168 के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल जी सदन के सदस्य होते हैं और संविधान की धारा 175(2) के अंतर्गत उनको सदन को निर्देश देने का भी अधिकार होता है। शायद यह भी एक अवसर था कि शायद महामहिम राज्यपाल जी सदन को निर्देश देते कि वह सदन का एक नेता चुने और भेजे। अगर

उस विकल्प की संभावना भी तलाशी गई होती, तो शायद बढ़िया होता। फिर भी एक परिवर्तन हुआ है। माननीय उपसभापति जी, बिहार के विधान सभा के 2005 के चुनाव के परिणाम का सबसे अधिक निर्णायक संकेत क्या है? निर्णायक संकेत मैं यह मानता हूं कि वहां विगत 15 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार चल रही थी, उसकी हार हुई है। जनादेश उसके खिलाफ गया है। बिहार के लोग जो 15 वर्षों से अराजकता, कुशासन और विकास के अभाव से पीड़ित थे, उसमें एक परिवर्तन तो आया है। इसीलिए लोगों के दिल में एक राहत है एक सुकून है, एक चैन है। लेकिन आशंका भी है कि आगे क्या होगा? अब जनादेश के अलग-अलग मतलब ढूंढे जा रहे हैं। एक समय लोकसभा के 2004 के चुनाव के अंतर्गत लोग कहा करते थे कि हमें दो-तिहाई बहुमत मिलेगा, दूसरे लोग 10-15 के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज उनकी संख्या 75 रह गई है। अब वे कहते हैं कि सेकुलर मेंडेट है, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। इस जनादेश का मतलब ढूंढने की राजनीति का मतलब भी जानना जरूरी है। वर्ष 2000 के विधान सभा चुनाव को लें, तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल को विभाजित बिहार मे, आज के बिहार में 115 सीटें मिली थीं और 33 परसेंट वोट मिले थे, लेकिन आज घटकर 75 सीटें रह गईं और उनका वोट भी 25 परसेंट रह गया। ...(**व्यवधान**)... जब आपका समय आएगा, तब बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए, रवि शंकर प्रसाद जी।

श्री रवि शंकर प्रसाद: उपसभापति जी, मैं यह कह रहा हूं कि इतने अधिक दावे करने के बावजूद इनके वोटों में इतनी बड़ी गिरावट आई है। जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उसका विश्लेषण भी हुआ है। मैं एक विश्लेषण यहां अवश्य रखना चाहूंगा, जो योगेन्द्र यादव जी का है, जो सेंटर फोर डवलपमेंट स्टडीज के हैं। उन्होंने जो विश्लेषण किया है, उसमें स्पष्ट कहा है, यह ''हिन्दू'' में छपा है, कि पिछले 15 वर्षों में आर॰जे॰डी॰ का यह प्रदर्शन सबसे अधिक अनसेटिसफेक्टरी इलेक्टोरल परफोरमेन्स था। उन्होंने यह आंकड़ों के साथ कहा है, जो ''हिन्दू'' में विस्तार से छपा है। यह योगेन्द्र यादव जी सेंटर फोर डवलपमेंट स्टडीज की स्टडी करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद भी यह कहा जा रहा है कि नहीं, हम जीते हैं, हम बड़ी पार्टी बने हैं।

उपसभापति जी, 27 तारीख को जो रिजल्ट आया और 28 तारीख को स्थिति साफ हो गई। इसके बाद 2 तारीख को बिहार विधान सभा के 150 नव-निर्वाचित विधायकों ने महामहिम राज्यपाल को लिखकर कहा कि हम आर॰जे॰डी॰ की सरकार का समर्थन कभी नहीं करेंगे। यह 243 के हाऊस में 150 लोगों ने साफ-साफ कहा। फिर कहा गया कि सेकुलर मेंडेट है, उसकी चिंता होनी चाहिए। अब सेकुलर मेंडेट? इस घिसे-पिटे रिकॉर्ड को कब तक बजाया जाएगा? बिहार को देखिए आप, एल॰जे॰पी॰ सेकुलरिज्म की बात कर रही है और आर॰जे॰डी॰ का खुला विरोध कर रही है। कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात कर रही है और आर॰जे॰डी॰ और एल॰जे॰पी॰ दोनों के साथ फ्रेंडली फाइट हो रही है। सी॰पी॰आई॰, सी॰पी॰एम॰ से एडजस्टमेंट भी है, सेकुलरिज्म की बात हो रही है और फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। यह जो सेकुलरिज्म का घिसा-पिटा नारा था, चाहे गोधरा की सी॰डी॰ हो या

पोस्टर्स हों, जिस पर चुनाव आयोग को नोटिस भी लेना पड़ा, उसके बावजूद वह रिपोर्ट भी लाई गई चुनाव को प्रभावित करने के लिए, लेकिन नतीजे सामने आए, तो पता चला कि सेकुलरिज्म का यह घिसा-पिटा सिक्का भी नहीं चला।

उपसभापति महोदय, मुझे एक और बात कहनी है, जो एक बड़ा विषय है। जब चुनाव के नतीजे आ गए तो एक * माहौल बनाने की कोशिश की गई।* ...(**व्यवधान**)...

डा॰ कुमकुम राय (बिहार): इसमें * क्या बात हो गई? ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, जो लोक सभा के सांसद हैं, वे यहां जवाब नहीं दे सकते। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: * इसको निकाल दीजिए और लोकसभा के सदस्य का नाम भी नहीं लिया जा सकता। ...(**व्यवधान**)... He is a Member of the other House. So it can't be permitted. आप उनको छोड़कर बात कीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। उनका स्टेटमेंट मेरे पास है। अगर आप कहेंगे तो उनका जो पब्लिक में दिया स्टेटमेंट है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: नहीं, उनका पब्लिक स्टेटमेंट जो भी है, यहां रेज न कीजिए। आप वहां पब्लिक में रेज कीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं ने उनका नाम नहीं लिया। तो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। इसीलिए जब 5 मार्च को जब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से महामहिम राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया गया मात्र 91 विधायकों के साथ, जिसका जिक्र महामहिम राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में भी किया है, तो एन॰डी॰ए॰ की ओर से हमने स्पष्ट कहा कि आंकड़ों के गणित के अनुसार हम दावा नहीं करते, लेकिन हमारे 92 विधायक हैं और हमारे साथ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है, अगर आर॰जे॰डी॰ को बुलाया जाएगा तो उसके पहले हमें बुलाया जाना चाहिए।

कुछ बात बाकी घटक दलों की भी करनी आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी के बारे में विशेष रूप से, इसलिए कि मैंडेट की चर्चा होती है तो उनकी भी चर्चा होती है। उपसभापति जी, अगर आप देखें तो 1999 का लोक सभा चुनाव आर॰जे॰डी॰ और कांग्रेस ने साथ लड़ा था। 2000 का विधान सभा चुनाव अलग-अलग लड़ा फिर साथ हो गए, पांच साल राज किया। 2004 का लोक सभा चुनाव साथ-साथ लड़ा और विधान सभा के चुनाव में एक नया शब्द निकला - फ्रेंडली फाइट। अब इस बीच में केन्द्र में सरकार बन गई है, तो लगा कि कुछ नियंत्रण की राजनीति भी करनी चाहिए। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में 84 सीटों पर चुनाव लड़ा, 10 सीटों पर जीती और 58

*Expunged as ordered by the Chair.

पर जमानत जब्त हुई। जब झारखंड और बिहार एक था, उस समय सन् 2000 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 23 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार उन 23 में से बिहार के सदस्यों की संख्या 12 से घटकर 10 हो गई और झारखंड के सदस्यों की संख्या 11 से घटकर 9 हो गई। उपसभापति जी, मैं एक-दो बातें कहना चाहूंगा कि पटना सैंट्रल एक कन्स्टिट्युएन्सी है, वहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बी॰जे॰पी॰ के उम्मीदवार से 51,000 वोटों से हारे। रघुनाथपुर कन्स्टिट्युएन्सी में कांग्रेस तीसरे स्थान पर पहुंच गई, वहां के उम्मीदवार उनके विधायक दल के नेता थे। बक्सर, आरा में बी॰जे॰पी॰ जीती, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। मधुबनी, भागलपुर में कांग्रेस हार गई। इन सात कन्स्टिट्युएन्सीस का जिक्र मैं इसलिए बड़ी विनम्रता से कर रहा हूं कि संयोग से श्रद्धामना सोनिया गांधी जी वहां चुनाव प्रचार करने भी गई थीं, यह कहना भी आवश्यक है। अब रिज़ल्ट सामने है, रिज़ल्ट के कारण यू॰पी॰ए॰ के अंदर परेशानी आती है, दिखाई पड़ती है, सुनने में आता है, अखबारों में पढ़ने में आता है कि जो लोग उनको अंदर से समर्थन दे रहे हैं, वही बहुत दुखी थे - अखबारों में कह रहे हैं, कैबिनिट की मीटिंग में नहीं गए कि हम राष्ट्रपति शासन का विरोध करते हैं। लेकिन जो बाहर हैं, वे भी दुखी नहीं हैं। मैं देख रहा था कि सी॰पी॰एम॰, पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य प्रकाश कारत ने "पीपुल्स डेमोक्रेसी" में एक साइन्ड आर्टिकल लिखा है, अखबारों में छपा है, मेरे पास भी उसकी प्रति है, जिसमें उन्होंने कहा है - "The over-powering aspirations of the Congress (I) party is responsible for the mess in Bihar and Jharkhand and the misuse of Governor, and they are responsible for the resurgence of BJP." उपसभापति जी, मैं बहुत विनम्रता से अपने सी॰पी॰एम॰ के मित्रों को बताना चाहूंगा कि बी॰जे॰पी॰ को अपने विकास के लिए न कांग्रेस का प्यार चाहिए, न दुश्वारी चाहिए, हम अपने बल और जनता के समर्थन से आगे बढ़ते हैं और बढ़ते रहेंगे। ...(व्यवधान)... लेकिन, शायद साथ की जरूरत सी॰पी॰एम॰ को पड़ती है और आगे भी पड़ेगी, उसको चिंता करनी चाहिए। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे थे, उनके बारे में हम क्या बोलें, वे भी यू॰पी॰ए॰ में हैं, लेकिन दुखी हैं, टूटे हुए हैं और जो आचरण उनके साथ हो रहा है, वह हम जानते हैं और बिहार में आप भी कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं, यह आप जान लीजिए।

†**श्री शाहिद सिद्दिकी** (उत्तर प्रदेश): हम यू॰पी॰ए॰ में सबक सिखाना जानते हैं, वोट बढ़ाना जानते हैं, सीटें बढ़ाना जानते हैं और आपको भी नीचे लाना जानते हैं।

شری شاہد صدیقی : ہم یو پی میں سبق سکھانا جانتے ہیں، ووٹ بڑھانا جانتے ہیں، سیٹیں بڑھانا جانتے ہیں اور آپ کو بھی نیچے لانا جانتے ہیں۔

श्री रवि शंकर प्रसाद: चलिए, वह कहानी आगे दिखाई पड़ेगी।

†Transliteration of Urdu Script.

उपसभापति जी, राष्ट्रपति शासन हमारे सामने है, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को एक कॉशन बताना चाहता हूं कि यह स्थायी व्यवस्था नही होनीं चाहिए, यह एक टैम्परेरी अरेंजमेंट है और बिहार के लोगों ने एक लोकप्रिय विकल्प की सरकार के लिए मतदान किया है, उस लोकप्रिय विकल्प की चिंता का सम्मान होना चाहिए। अगर आज शासक दल यह समझता है कि इस संवैधानिक मजबूरी के कारण बिहार का शासन उनके हाथ में स्थायी रूप से रहेगा, तो हम इसका विरोध करेंगे। विकल्प की तलाश होनी चाहिए, चाहे वे लोक जनशक्ति पार्टी के लोग हों, उनके नेता की बात हो, उनको भी अधिकांश मत राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में मिले हैं और उसका सम्मान होना चाहिए।

अब कहा जाता है कि बी॰जे॰पी॰ को अलग करिए तो बातचीत का रास्ता निकल सकता है, लेकिन एक बात मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि 80 के दशक में और 90 के आरम्भ के दशकों में बी॰जे॰पी॰ को अलग-थलग करने की राजनीति चली थी, किन्तु वह फेल हो गई। आज बी॰जे॰पी॰ हिन्दुस्तान की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पोल है और बिहार के विकल्प में बी॰जे॰पी॰ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आर॰जे॰डी॰ के विरोध में भी इस बात को समझने की आवश्यकता है।

आदरणीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि 5 मार्च को अधिसूचना जारी हुई, आज इतना समय हो गया है, अभी तक एडवाइज़र्स नियुक्त नहीं हुए हैं। बिहार एक बड़ा राज्य है। मैं जानना चाहता हूं कि एडवाइज़र्स नियुक्त करने में कठिनाई राजनीतिक कारणों से है अथवा प्रशासकीय कारणों से है? मैंने कहीं सुना, यू॰पी॰ए॰ घटक दल के नेता कह रहे थे कि एडवाइज़र्स की कोई आवश्यकता ही नहीं है, महामहिम राज्यपाल जी ही पर्याप्त हैं। यह बिहार की समस्या है और बिहार के अन्दर विकास का जो अभाव है, उसके बारे में आज अच्छे, निष्पक्ष, ईमानदार और प्रामाणिक एडवाइज़र्स की बहुत आवश्यकता है। माननीय उपसभापति महोदय के माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जब आप इस बहस का उत्तर दें तो इस बात की आवश्यकता है कि आप एक टाइम फ्रेम बताएं कि बिहार में एडवाइज़र्स की नियुक्ति कब होगी, यह भी बताएं। क्या दो माननीय मंत्रियों के टकराव के कारण इसमें कठिनाई आ रही है?

माननीय उपसभापति जी, इस पूरे बिहार के चुनावी नतीजों में, सरकार लाने की प्रक्रिया में, कुछ शब्द ऐसे सामने आए हैं, जिससे देश की राजनीति में नई-नई शब्दावली घड़ी गई है। ऐसे शब्द जो हमने नहीं सुने थे, लेकिन हमारी राजनीति में आए, जैसे पैन्डुलम, मोबाइल पार्टी। ये सभी नये शब्द हैं, जिनसे हमारा भी ज्ञानवर्द्धन हुआ। कुछ और ऐसे शब्द भी थे, जो शालीनता की सीमा से आगे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन माननीय उपसभापति जी, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और वह सवाल उठता है, एक ऐसे विचार पर, जो कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मूल मन्त्र हैं।

It gives rise to a very serious question. And what is that question? The

question is one of infraction, the glaring infraction, of the well-settled principles of collective responsibility. Sir, the hon. Home Minister is a learned man. Not only with his wide administrative experience, but also with his expertise in law as an academician, he truly understands the meaning of 'collective responsibility' in a Cabinet system of Government. He has wide experience of what are the contours, what are the implications and what is the consequence if there is an infraction thereof. I am sure, he would have read a lot of literature on this. But I would like to place for his kind consideration a particular passage from *'Parliament Functions: Practice and Procedure'* by Prof. J.A.G. Griffith, Emeritus Professor of Public Law, University of London. Sir, I am reading from page 23 of this book the portion on 'Responsibility and Accountability: Collective Responsibility'. It says, "The principle of collective responsibility, as applied to Cabinet Ministers, means that each Minister accepts responsibility for the decisions of the whole Cabinet. Inside the Cabinet, a Minister may argue for a different course of action but he is expected not to express public disagreement with the course decided on though a dispensation may be given to a Minister on a matter particularly affècting his constituencey. If he feels very strongly on a matter, he may resign in which case he will have an opportunity to make his statement in the Parliament. This version of the doctrine applies to the simplest case where Ministers are present at the Cabinet meeting and decision is taken. But it also applies to Cabinet Ministers who are not present and so could not be said to participate in the making of a decision; and to those decisions of the Cabinet Committees which are not required to be endorsed by the full Cabinet and the existence of which some Ministers may be aware". This is a well-settled parliamentary convention. Sir, this matter also came before the hon. Supreme Court of our country. Sir, in the famous case of Common Cause, which is reported in 1996 Supreme Court Cases, page 667, and I am quoting paragraph 31 of this judgment of our Supreme Court.

"Collective responsibility has two meanings. The first meaning which can legitimately be described as that all Members of the Government are unanimous in support of its policies and would exhibit that unanimity on public occasions, although while formulating the policies, they might have expressed a different view in the meeting of the Cabinet. The other meaning is that Ministers to speak against the policies in the Cabinet are thereby personally and morally responsible for its successs". Therefore, Sir, the contours of collective responsibility are well-known. What we have experienced in the context of Bihar, as far as the imposition of President's

rule is concerned, is this. A senior member, who is not only a member of the Cabinet, but also a member of different Committees of the Cabinet, including the Cabinet Committee on Political Affairs and the Cabinet Committee on Economic Affairs, publicly says, "I will not attend the Cabinet meeting because I am opposed to this". Not only that, we are treated not only to unprecedented, but bizarre scenario where there was a walk-out in the other House, not only by one but by six to seven Minister of this Council of Ministers. Sir, what is this? Is it not a case of clear infraction of the principle of collective responsibility? I have got paper-cuttings about all those statements, Sir, but I don't want to take the precious time of this hon. House in reading them. Those things have come on the television, and they have come in the print media.

Sir, in the light of this, my very respectful request, through you, to the hon. Minister is this. I wish the hon. Prime Minister could have been present here.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: May I request the hon. Member to yield for a minute? You are referring to the principle of the collective responsibility of the Cabinet. What is the collective responsibility of the Cabinet? You yourselves have read some passages from a book which say that the people may have different views, and yet they may be bound by the decision of the Cabinet and this is exactly what is happening. Now, with this principle of collective responsibility, you are trying to create cleavage between the parties which have formed the Government which should not be done.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Cleavage is there. You have to admit it. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY (Gujarat): Sir, the hon. Member has raised a very important point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has just intervened. That is not...

SHRI ARUN JAITLEY: The hon. Home Minister has said that members of the Cabinet may have different views. Members of the Cabinet must necessarily on various issues have different views. But, once the Cabinet takes a decision and in this case the decision is to impose President's rule under article 356, because there is a deadlock in the Assembly, we don't expect Ministers who are members of the Cabinet to publicly say, "I did not attend the meeting because I disagree with the Cabinet." We don't expect the Ministers to say, "I walked out of the House to protest against the decision of the Cabinet when it was being ratified by the House." This

is contrary to the principle of collective responsibility.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I am saying that they may differ, but they may accept the decision. And this is exactly... ...*(Interruptions)*..

SHRI ARUN JAITLEY: When they walk-out, they do not accept it. They publicly expressed a dissent on this decision.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: They are not saying that we are not responsible for your decision. ...*(Interruptions)*... The are not saying that we are not responsible. ... ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, the hon. Home Minister is a very senior man. He had been the Speaker of the Lok Sabha. Does he remember any earlier precedent, where a Cabinet Minister had walked-out from either Houses of Parliament protesting against a decision? ... *(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I don't think, Sir, it is necessary for the former Law Minister to refer that I had been the Speaker of the other House. These are all the things which...

SHRI ARUN JAITLEY: I am referring to it for your opinion. ... ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, what I am submitted for the consideration is, the decision has been taken and the consequences of that decision are acceptable to everybody who is part of the Cabinet. That is collective responsibility.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Then, why should they stage a walk-out in protest of a decision.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nobody can answer it. ... *(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Such walk-outs indicate that there was some dissent. ... ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Such walk-outs show dissent. ... ...*(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: ...A type of interpretation to the collective responsibility ... ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Okay. You can have your own view and we will have our own. ... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is Parliament. Everybody has his own view. ... ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: If you want to repeat it in this fashion, you can have the pleasure of doing so. ... ...*(Interruptions)*...

DR. BIMAL JALAN (Nominated): I am very hesitant to intervene in a party debate, because it is a party debate. But one point I would like to make with due humility to the Home Minister. I would make it because it is a very important Constitutional point and I am making this point only as a citizen. The Cabinet decisions are acceptable to the entire India because we have only one Government. But it doesn't make all people of India collectively responsible for accepting the decision. So, I think, Sir, there is a caveat which is important. A citizen may disagreee. But he has to accept the Cabinet decision. ... ...*(Interruptions)*...

I am saying that it applies to all the citizens of India. I am talking about it as an Indian citizen. We have one Government, as it should be, and all the decisions of the Government are binding on all of us.

श्री उपसभापति: अब इसके ऊपर डिबेट नहीं होगी। ...(व्यवधान)... The Home Minister wanted to intervene and I allowed him only. इसके ऊपर डिबेट नहीं हो रही है। ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I was eagerly awaiting for a policy reply from the hon. Home Minister. But, anyway, he is entitled to intervene and I respected that. ... ...*(Interruptions)*... ... The point I am trying to highlight is, if the hon. Home Minister would have read this passage, he would have seen that there is an escape route also. If a Minister doesn't agree, he must resign. And the point I am trying to highlight is this. And that is a very serious question. Since for the first time in the parliamentary history of India this has happened, may I request the hon. Home Minister and the Prime Minister that would the Prime Minister reassert his authority and ask for the resignation of the hon. Railway Minister, and if he doesn't do so, to dismiss him for his clear violation of the principles of collective responsbility? That is the issue. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is his opinion. ... ...*(Interruptions)*... ...

प्रो० राम देव भंडारी (बिहार): आपको oblige नहीं किया जाएगा। ...(व्यवधान)... आप oblige होना चाहते है ...(व्यवधान)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Therefore, Sir, this is an issue of

Constitutional importance which has taken place for the first time in the annals of our parliamentary democracy, unprecedented. We would like the Prime Minister to assert his moral authority, because that is very important, because I have shown that it is a clear case of infraction of the principles of collective responsibility.

Sir, now Bihar is in your hands. The notification clearly says that through article 356, the President has taken over the administration of Bihar. Have already stated with a strong caveat that it should not be permanent. Attempts have to be made for a proper and alternative popular Government in Bihar. But, Sir, the second concern which I want to express to you is on the state of affairs of my State , namely, Bihar. You must have heard about the extent of decay. But the decay is so alarmingly enormous is barely known to you. In brief, I would only highlight four points.

Sir, Bihar's education record is the lowest in the country. There are 295 districts in the country which are educationally backward. All the 37 districts of Bihar are part of that. Bihar's female literacy is the lowest in the country. Bihar has got the lowest power consumption in the entire country. Out of 1,47,00,000 households, hardly 14 lakhs, that is, 10 per cent, is illuminated by energy. Sir kindly just check it up from the Power Ministry. They had commissioned a consultancy from CRISIL, to have a comparative estimate of Electricity Boards. Bihar's Board came second from the bottom, only above Arunachal Pradesh. Sir, the lowest expenditure on health in the country is in Bihar. There is a UN study. Fifty per cent of our leprosy patients are in Bihar. Vaccination of children, which is compulsory, is only 10.6 per cent in Bihar, the lowest in the country. Against one million population, the density of road is only 9.5 km. whereas in other States, it is 25-27 kms. In U.P., it is 19.67 kms., whether in roads or in energy or in health or in power or in education, this is the alarming situation. Therefore, on every account, today, unfortunately, Bihar is at the bottom of our development index.

That is indeed a challenge. Therefore, the overpowering quest of the people of Bihar for a real change and development is too strong which the Union while exercising power under article 356(2), would readily respond to by having a transparent administration, a responsive administration for whatever time the President's Rule is there. That is my very earnest request to you. Therefore, the non-appointment of the advisors for such a long period is giving a serious cause of concern. Sir, the President's Rule is an extreme step. Normally, none of us like it. The Bommai Judgement has

already explained the contours and limitations of this whole obligation to impose article 356. I think all of us in one way or the other have been opposed to the imposition of President's Rule. Your party also of late learnt that frequent use or abuse of article 356 is not Constitutionally permissible. Therefore, I would again like to remind with profound respect and caveat that any decision to postpone the resumption of a popular Government in Bihar and continuance of President's Rule for enormous period shall be opposed strongly, eloquently, and that is not what the people of Bihar want. They want indeed a popular Government. Here, Sir, may I request that the Union would also be a facilitator in a costructive way for the installation of a popular Government. Mr.Deputy Chairman, Sir, as you have pressed the bell twice... ...*(Interruptions)*... ... I always speak within the given time... ...*(Interruptions)*... ... Sir, I shall be concluding my speech with a quotation from the Bommai Judgement and that is very appropriate... ...*(Interruptions)*... ... This is paragraph 101 of the Supreme Court judgement. I am sure you must have read it. It says, "Frequent elections consequent upon unjustified use of article 356 (1) has thus a potentially dangerous consequence of negating from democratic principles by making the election-contest the exclusive preserve of the affluent. What is furthers the frequent dissoulution of the Legislature has the tendency to create disenchantment in the people with the process of election, thus with the democratic way of live itself. History warns us with that frustration with democracy has often in the past led to an invitation to fascism and dictatorship of one form or the other."

Sir, it is indeed a very strong yet a constructive warning by the hon., the Supreme Court. I am quite sure you are also aware that this has to be a temporary phase. It has to be a temporary phenomenon and sooner or later there shall be sincere efforts for restoration of a popular Government in the State of Bihar. Sir, I am deeply grateful to you for the time you have given. Thank you.

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदय, गृह मंत्री जी द्वारा बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा के अनुमोदन का जो प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से सदन को इस बात की जानकारी दी कि बिहार में चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां बनीं, जिनके कारण वहां राष्ट्रपति शासन लगाना संवैधानिक आवश्यकता हो गई, अनिवार्य हो गया। उससे पूर्ववत रवि शंकर प्रसाद जी ने अपना पक्ष सदन के सामने रखा। बिहार पर, इस सदन में आज जो चर्चा हो रही है और जो प्रस्ताव सामने है, तो ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, वह सर्वविदित है। बिहार में चुनाव हुए, चुनाव के जो नतीजे हैं, उनसे जिस तरह के सदन का गठन हुआ — एक खंडित जनादेश सामने आया, जिसमें

किसी भी दल द्वारा स्थाई सरकार के गठन की संभावना नहीं थी। राज्यपाल ने अपनी जो रिपोर्ट सभा पटल पर रखी, उसमें इस बात का उल्लेख किया कि दोनों पक्षों के दावों को देखकर और संख्या को देखकर ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। कोई भी सरकार जब यह निर्णय लेती है, तो वह संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए लेती है। वास्तविकता यह है कि और कोई संभावना नहीं थी और यह कोई प्रसन्नता से, खुशी से लिया गया निर्णय नहीं है। प्रजातंत्र में हम सब लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष, अपनी भूमिका निभाते हैं।

जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, हर दल की यह इच्छा होती है कि वह अपनी शक्ति बढ़ाए, वह स्वयं या गठबंधन के साथ सरकार बनाए। लेकिन जो गणित है, आंकड़े हैं, उनको न तो नकारा जा सकता है और न ही उनसे झगड़ा किया जा सकता है। **...(व्यवधान)...** न उससे कोई झगड़ा कर सकता है। जैसा मैंने कहा कि बिहार के अंदर जनादेश खंडित है। अभी रवि शंकर जी ने जिक्र किया कि जो पहले गठबंधन की सरकार थी, उनका जनाधार कम हुआ है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि मुझे इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि जो दल चुनाव लड़ रहे थे, उन सभी दलों के जनाधार में कमी आई या मत प्रतिशत, वोट परसेंटेज थोड़ा कम हुआ। भारतीय जनता पार्टी और जे॰डी॰यू॰ में से स्वयं भारतीय जनता पार्टी थोड़ा इस पर चिंतन करे, आपने आर॰जे॰डी॰ के 75 गिना दिए, हम पर भी छींटाकशी करी, कुछ ताने कस दिए कि हमारी संख्या गिरी है, हम उसको स्वीकार करते हैं, उससे झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन आप कहां खड़े हैं? जनादेश आपके पक्ष में भी नहीं गया, इसीलिए आज यह परिस्थिति है। अगर आप मजबूत होते तो जनता आपके साथ होती, यदि यहां से नाराजगी थी तो फिर आपके पास घूम जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा मैं कह रहा था कि आज यू॰पी॰ए॰ सरकार और गृहमंत्री जी, इस निर्णय को संवैधानिक आवश्यकता के लिए ले रहे हैं। कोई लोकतंत्र में विश्वास करने वाले राजनैतिक दल, यह परिस्थिति नहीं देखना चाहते। जैसा कि आपने कहा है कि यह पहली बार हुआ है कि सदन के गठन के बाद बिहार के अंदर सरकार नहीं बनी और आठवीं बार यह राष्ट्रपति शासन लगा है, प्रयास होना चाहिए था, खोज होनी चाहिए थी। इससे आप भी सहमत हैं कि और कोई विकल्प नहीं था। यह आपकी सहमति है और आप भी इसका अनुमोदन करते हैं, कम से कम यह एक अच्छी बात है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारत के अंदर यह पहली बार नहीं हुआ है, **...(व्यवधान)...** कि जब चुनाव के बाद सरकार बनाने की बात हो तो सरकार बनने से पहले राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर यही हुआ था। वहां का गणित ऐसा था और जो सदन में दलों की संख्या थी, वह ऐसी थी कि सरकार बनना संभव नहीं हुआ। जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा तब केन्द्र में एन॰डी॰ए॰ की सरकार थी। **...(व्यवधान)...**

†श्री शाहिद सिद्दिकी: आप एक सैकुलर पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे।

† شری شاہد صدیقی : آپ ایک سیکولر پارٹی کا سمرتھن کرنے کے لئے تیار نہیں تھے

†Transliteration of Urdu Script.

श्री आनन्द शर्मा: आप किसी गलत साल की तरफ घूम गए हैं। मैं पिछले चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं जो एक वास्तविकता है। शहिद भाई, आज भी उत्तर प्रदेश में हमने एक सैद्धांतिक निर्णय किया था, जब इनकी सरकार के जाने का समय था ...(**व्यवधान**)... मजबूरी नहीं, एक सैद्धांतिक निर्णय था। हमने तो समर्थन देकर अपनी सरकार बनवाई थी, उस समय हमारे समर्थन के बिना सरकार नहीं बनती। हमें खुशी है कि हमने वह निर्णय लिया। आप इनको खुश करने के लिए यह बात न करें तो अच्छा है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : हमको उससे खुश नहीं होना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए।

श्री आनन्द शर्मा: देखिए , सैकुलर सरकार और सैकुलर पार्टी, कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल, उनके फ्रेंडली फाइट्स का आपने जिक्र किया है, मेरा यह कहना आवश्यक हो जाता है कि चुनाव के मायने, राजनीतिक दल जब चुनाव में जाते हैं, वे गठनबंधन के रूप में भी जाते हैं और स्वयं भी चुनाव लड़ते है, कांग्रेस ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि जहां हमारे सहयोगी दलों के विधायक या वहां जहां हमारे वर्तमान विधायक थें। वहां हम आमने-सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी हर राजनैतिक दल की यह प्रयास जरूर रहता है कि वह अपनी वापसी की कोशिश करे। यह अलग बात है कि जो भी निर्णय या नतीजे आए, वे हमारी आशा के अनुकूल नहीं थे। कई बार चुनाव में निराशा भी हाथ लगती है, परंतु जो जनादेश हुआ, वह स्पष्ट नहीं था। एक बात का संकेत बहुत साफ है कि वह जनादेश एन०डी०ए०-बी०जे०पी० सरकार के बनाने के पक्ष का नहीं था, इसीलिए प्रयास हुआ। कांग्रेस ने अपना समर्थन आर०जे०डी० को दिया। यह कोशिश हुई कि किसी तरह से एक ऐसी सरकार बने, जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो प्रगतिशील हो। पुराने समय में यही आशा कर सकते हैं। बिहार के अंदर जब भी ऐसी परिस्थिति बनी कि वैकल्पिक सरकार का स्थायी सरकार का गठन संभव हो, तो उसमें गृह मंत्री जी भी प्रसन्न होंगे, सरकार भी प्रसन्न होगी। आप जो कह रहे थे, वह केवल आपकी नहीं, बल्कि सभी की राय है। वैसा होना भी चाहिए था।

आपने बिहार के बारे में कहा। आपने बिहार से संबंधित आंकड़े दिए, सूचना दी, यह सभी के लिए चिंता की बात है। अगर बिहार या देश के दूसरे हिस्से विकास की दौड़ में पीछे रह गए, यह सिर्फ बिहार ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से हैं, उड़ीसा का बड़ा भू-भाग है, कई जनजातीय क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर विकास की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है, नीति की आवश्यकता है, कुशल प्रशासन की आवश्यकता है।

आपने झारखंड का ठीक याद दिलाया। There cannot be any disagreement. There is no dispute on that count. If any region of the country lags behind, it is a matter of collective national concern. It becomes our combined duty to ensure that those regions, which have been left behind for any factor, are also paid special attention, are given the necessary resources and the disadvantage and un-empowered people, especially women, children and

poor, gets the support of the entire society. I am sure, the hon. Home Minister, given his own rich experience in public life, and the hon. Prime Minister, are concerned about the issue of equitable and uniform development. This, in fact, is the commitment of this Government. The Government will take adequate measures to ensure that the administration is— you were saying in Bihar during the Governor's rule — responsive, is efficient and is development-oriented. जैसा मैंने कहा कि यह एक ऐसा विषय है, जो दलगत राजनीति, चुनाव की राजनीति से अलग है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने सही याद दिलाया सही जिक्र किया। इस सरकार की प्राथमिकता वही है, नीति भी वही है, इसलिए पहले से बहुत अधिक साधन, धनराशि शिक्षा के लिए, ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध कराई गई। नया नारा, जो एक नई पुकार राष्ट्रपति के भाषण के माध्यम से "भारत निर्माण" की आई है, उसमें हम आपको भी निमंत्रण देते हैं। यह देश हम सबका है, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, मिलकर कार्य करना चाहिए।

आपने एक और चर्चा की, जिसमें भाई अरुण जेटली भी बीच में हस्तक्षेप कर गए। वे अभी सदन में हैं नहीं। आपने "कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी" का जिक्र किया। गृह मंत्री जी ने उस पर अपने विचार दिए। आपने ऐसा दर्शाया कि कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। और इस सरकार को इस बुनियादी आवश्यकता की या तो समझ नहीं है, या उस कसौटी पर, वह पूरी नहीं उतर रही है। When we talk of collective responsibility, all those who subscribe to the concept of Cabinet system of Government, the system of Parliamentary Democracy, cannot have another viewpoint. You have read excerpts from a book, written by a very eminent Professor. We have had great Parliamentarians and authorities in this country, who have commented. And, you have very rightly quoted also from the Supreme Court. But I will take you back to what you quoted. And, if my memory serves me right, what you read was, "All the Ministers are bound by the decision of the Cabinet. Once a decision is taken — they may have their own views, they may differ— they all are bound. Even those who may have been absent from the Cabinet meeting are also bound by the decision". Am I correct? This is what you read. ...*(Interruptions)* ... No, I was listening to you. And, I think, I am almost correct, though I do not have the book or any paper. ....*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: ..and, then, resign ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: No, that was not there. ...*(Interruptions)*... No, Sir, that was not there. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: If you say that was not there, that is not fair. I can read again, if you like. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Now, the hon. Home Minister, in any case, had intervened and pointed out what the correct position was. When we talk of the functioning of Cabinet system and the collective responsibility, first it is about the policies, also about the decisions. In a democratic set up, there can be differences of perception, differences of approach, and genuine *bona fide* differences, but when a decision is made, the consequences of the decision are acceptable and binding. And, what you were trying to convey was, as if the consequences of that decision had been objected to or violated. That is not correct. Each member of the UPA Cabinet is responsible, senior and seasoned enough to understand the import of a Cabinet decision. As I was saying, that is binding. So, what you were trying to say ...*(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: You have to convey this message to your allies. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: The allies know better ...*(Interruptions)*... we stand collectively and that is the cause of discomfort for you. We are not disunited. Don't you try to give that impression? ...*(Interruptions)* ...Well, if I have to go back to their history, Sir, how sometimes one Cabinet Minister would storm out of a meeting. She was my colleague in the party, like some other friends, like Ahluwaliaji was. She has also gone to that side. She is not a Member of this House, so I can't take her name. ...*(Interruptions)*... But she stormed out of Cabinet meetings many times. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon.Deputy Chairman, Sir, when he referred my case, I was asked not to ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: No; no, I am not saying anything. I am only reminding them ...*(Interruptions)*... Okay. But I don't think the objection is sustainable. We can argue about ...*(Interruptions)*... Hon. Deputy Chairman, Sir, for one reason Ravi Shankar Prasadji was giving an impression that this has happened in the UPA Government. I am trying to remind my friend and also to this House that when the NDA was in power ...*(Interruptions)*... many constitutents of the NDA and the Cabinet Ministers not only publicly differed but also stormed out of Cabinet meetings. So, let's not get into that. ...*(Interruptions)*... There have been umpteen examples, and the country is well aware of that. I am not going to take names; I am not going to get into the ...*(Interruptions)*... No, I don't want to.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not if they want. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): In 1997, the Janata Party was in power. They had started this kind of confict. Ramember. Look at the stories. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:.. they resigned and Morarjibhai sat there. ...*(Interruptions)*... That is what I am saying. ...*(Interruptions)*... He sat there. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ravi, please let the debate go on. ...*(Interruptions)*...

श्री आनन्द शर्मा: उपसभापति महोदय, अब यह भी एक ऐसा विषय इन्होंने उठाया है, इसलिए मुझे इस पर अपना विचार व्यक्त करना पड़ा ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आपने व्यक्त किया, आगे बढ़िए।

श्री आनन्द शर्मा: ताकि वह रेकार्ड पर रहे और मेरी नजर में इनका दृष्टिकोण सही नहीं है, यह कहने का हमें अधिकार है। कुछ ऐसे विषय हैं, जब हम अपने प्रजातंत्र की बात करते हैं, चुनाव और चुनाव के बाद की बात करते हैं, सरकार के गठन की बात करते हैं, तो हर दलों के प्रयास की एक प्रक्रिया रहती है। पर एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि चुनाव के बाद, चुनाव अभियान और चुनाव प्रचार की बात से हम अपने आपको दूर रख कर, संजीदगी के साथ, परिपक्वता के साथ अपने दल के या उससे आगे उठ कर, पूरे प्रदेश और देश के हित की बात करें। यह प्रचार खत्म हो चुका, आपके और हमारे विचारों का आदान-प्रदान हो चुका, चुनाव के दौरान आपके और आर॰जे॰डी॰ का भी हो चुका, चुनाव के बाद जो जनादेश है, वह आपके सामने है, देश के सामने है। इससे आगे कैसे उबरना है? आपने सही कहा, मैं आपसे सहमत हूं कि आने वाले समय के अन्दर इससे आगे कैसे उबरा जाए, ताकि एक वैकल्पिक सरकार बने। आपने चर्चा की कि that this should not be the permanent solution. राष्ट्रपति शासन स्थायी नहीं होना चाहिए। इस सरकार की भी कोई ऐसी मंशा नहीं है। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि यह स्थिति बन गई कि जब चुनाव के बाद सरकार नहीं बनी, वह भी ऐसे महीने में जब बजट भी बनना है, बजट पास होना है तो संसद को वह अधिकार लेना पड़ता है और राज्यपाल के माध्यम से वहां का प्रशासन चलाना पड़ता है। इसी सदन के अन्दर इस चर्चा के बाद बिहार के बजट की भी बात आएगी। उस पर चर्चा होगी, उस पर भी दोनों पक्ष के लोग विचार देंगे, ऐसा मैं समझता हूं।

मुझे अंत में यही कहना है, इस प्रस्ताव का सम्मान करते हुए कि जो प्रस्ताव माननीय गृह मंत्री जी ने लाया है, इस सदन का सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हमारे राजनीतिक वातावरण के अन्दर मतभेद रहें, वैचारिक मतभेद रहें, पर विरोधाभास न हो, टकराव की राजनीति न हो,

दोषारोपण की न हो। आज सुबह महामहिम राष्ट्रपति जी ने और हमारे सदन के सभापति, उपराष्ट्रपति महोदय ने यही बात हमें याद दिलाई कि संसद से और सांसदों से देश की क्या अपेक्षाएं हैं? Let us work collectively to restore the distinct glory and dignity of these institutions through our conduct and contribution. And when it comes to larger national interest, let us learn not to be parties in our approach, but to rise above that.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, first of all, I must thank Mr. Ravi Shankar Prasad because our Party's view has been read. And it looks now that our Party's publication has been read very seriously by the Members on this side and that side. (*Interruptions*) I am sure, you are also reading *People's Democracy*, I suppose. I am sure, that our Party's views on so far as the specific issue of imposition of article 356 are quite well known. Irrespective of where we stand, this side or that side, this has been consistent all through. We have been opposing the Presidential Proclamation as well as article 356, excepting for certain very unforeseen issues or certain issues, which involve perversion of constitutional process itself and wherein a particular State you wanted intervention of the President. In this case, it is a fractured mandate, Sir. When I talk about the Constitution, Sir, concede very firmly that I am not a Constitution lawyer at all, and I cannot debate like Shri Ravi Shankar Prasad on the other side, and Shri Arun Jaitley, who is not there. But we have talked in detail about collective responsibility; so I will come to that first. Sir, I am telling you that as a Member of Parliament, I have taken an oath in this august House and said in the swearing-in ceremony—as I think every Member of Parliament says—that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. This is the oath we take. The Preamble of the Constitution says, "We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic." Sir, my kind submission to you is whether this is the Constitution on which we have taken an oath. The word 'secular' is there in the Constitution. My learned friend has used once or twice घिसा-पिटा सिक्का सेकुलरिज्म का। सी०पी०एम० नहीं, कांग्रेस नहीं, आर०जे०डी० ...(**व्यवधान**)... सेकुलरिज्म का घिसा-पिटा सिक्का। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: "सेकुलर कार्ड" मेरा शब्द था। ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: सेकुलर मेनडेट की सिट्टी-पिट्टी ...I am sure that you mean that it is not the सेकुलरिज्म का घिसा-पिटा सिक्का। because the other day also, while speaking on the Motion of Thanks on the President's Address, the Leader of the ...(*Interruptions*)... Please don't interrupt सिक्का'' का इंग्लिश टर्म क्या है? What is it? Is it a soiled coin? Am I correct? Or is it worn- out coin? Forget about even the UPA. I know the TDP very well. I can say on their behalf. If they want, they can contradict me. I don't think that excepting BJP ...(*Interruptions*)... वशिष्ठ जी तो नहीं हैं, बी०जे०पी० वालों को छोड़कर आपके एन०डी०ए० वाले कहां हैं? आपको बाहर से सपोर्ट करने वाले भी नहीं है। अब तो डी०एम०के० भी नहीं हैं, वे इधर चले गए। ए०डी०एम०के० तो हैं। सर, कोई ऐसा होगा जो यह कहेगा कि कांस्टीट्यूशन में सेकुलरिज्म का शब्द घिसा-पिटा है? क्या बोलते हैं और कुछ बोलना है तो बोल दीजिए? But is it fair? And this is where it concerns me, the President's rule. Yes, we feel, it is a mandate, it is a secular mandate. It is an introspection, not for BJP, but for the secular forces as a whole. Till now, it was outside this Parliament. Now, on the floor of the Parliament also, secularism, as a word, is being ridiculed. It has been ridiculed. If you see the speech of the Leader of the Opposition, who is not here, he said certain things. I don't want to go into that. 'Sarcasm' is a different word; I cannot make objection to that. But my point is, I may have a lot of differences with the 'G' of the JDU. I cannot name him. He is the leader* I may have a lot of differences. I will not call him a secularist ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, why did you take the name? He is a Member of the other House. ...(*Interruptions*)... You can't name him. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Is it fair for me to say because of an individual's subjective 'pseudo socialism'.. ..उसको हिन्दी में क्या बोलते हैं जो भी बोलिए, but Secularism itself is being questioned on the floor of the House here. We have come to this stage because of the problems with those who really believe in secularism. There, I include those who support the so-called NDA from outside, I include those who are in so-called BJP or NDA. I don't think, excepting BJP, no one is prepared to go by this mandate, on this type of verdict on secularism घिसा-पिटा क्या ...(व्यवधान)... and all this. This is my first point, Sir. Whether these words in the Constitution, socialism ...(*Interruptions*)... socialist...

*Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: No, Sir. This is what I want you to protect. What is the point? Why do we say that the UPA mandate is a secular mandate?

सर, एक और वर्ड है सोशलिस्ट जिसे घिसा-पिटा बोल देते हैं। सब बोल देते हैं। आपके यहां के कुछ लोग बोल देते हैं। जब कांस्टीट्यूशन में है, तो कांस्टीट्यूशन में "सेकुलर" शब्द घिसा-पिटा, सोशलिस्ट घिसा-पिटा, सोवेरेन तो आप खुद ही बोल रहे थे।...(व्यवधान)... जब स्ट्रिक्ट सर्चिंग होती है तो सोवेरेनिटी पर ख्याल नहीं जाता। तो क्या हम झंडा लेकर डेमोक्रेसी को मेंटेन करेंगे, इस कांस्टीट्यूशन को मेंटेन करेंगे?

This is the question. Sir, This is an introspection for the UPA as a whole, those who support the UPA from outside. Yes, today, the Presidential Proclamation has become necessary because the people of Bihar have given them a clear-cut mandate.

There is no doubt about it. This is a mandate, what I would call in the words of Mr. Ravi Shankar Prasad, घिसा-पिटा सेक्यूलर forces. They have given a mandate. It is within us. We will have to interact. It is a warning signal. It is not a warning signal for only those in the Congress or in the UPA or outside. हम तो साहब, हिन्दी में साफ-साफ कह देंगे, आपको पसंद हो या न हो। जैसा आप बोल रहे हैं, आपका एक ही टारगेट है, सब्जेक्टिव, लेकिन नाम तो आर॰जे॰डी॰, जिनका नाम आता है बार-बार। हमारा एक ही टारगेट है। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि ऐसे लोगों को सत्ता के आस पास भी, सत्ता पर नहीं, सत्ता के आस-पास भी, हम लोग परिक्रमा करने की इजाजत नहीं देंगे, जनता ने दे दिया है ...(व्यवधान)... जनता ने 37 दे दिया है। कितने हैं 27 या 29 ...(व्यवधान)... 37 है 240 में ...(व्यवधान)... अब इलेक्शन का अनालाइसिस क्या है, मैं उसमें नहीं जाता। मैं इलेक्शन अनालाइसिस में नहीं जाउंगा ...(व्यवधान)... क्योंकि टीवी में इतनी बार दिखाया गया और रवि शंकर प्रसाद जी इतना अच्छा बोलते हैं ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): इलेक्शन अनैलेसिस में क्यों नहीं जा रहे हैं?

श्री दीपांकर मुखर्जी: हम नहीं जा रहे हैं।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: जाइए!

श्री दीपांकर मुखर्जी: क्यों? उसका तो टीवी में हो चुका है।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: इसमें आपका भी पता लग जाएगा।...(व्यवधान)... आपका भी पता लग जाएगा।...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Kindly hear it. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं। (व्यवधान) आप भी बैठिए और वे भी बैठेंगे। ...(व्यवधान)... आप भी बैठिए ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, मैं इलेक्शन अॅनेलॅसिस में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि टेलीवीजन में इतने अॅनेलॅसिस हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो अॅनेलॅसिस मैंने देखा था, जब लोक सभा का निर्वाचन हुआ था, तब क्या था? वे तो हमारे साथ गए थे। हम बोल सकते हैं कि मैंने उनको टीवी में देखा है। वेंकैया नायडू जी। क्या हुआ, जीता या हारा? नहीं, हम हारे नहीं। कोई नही जीता है। इलेक्शन में क्या हुआ है? ये एक महीने तक मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई जीता है या कोई हारा? तो कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, तो क्या हुआ, ड्रॉ हुआ! ...(व्यवधान)... हम बिहार में आ रहे हैं। ...(व्यवधान)... हम बिहार ही में आ रहे हैं। हमको गणित सिखा रहे हैं! कौन जीता और कौन हारा? ...(व्यवधान)... 75 जीता या ...(व्यवधान)... 75 जीता या 37 जीता? ..(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: 92 क्या है? ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: 92 पर आ गए ...(व्यवधान)...96 में ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: बंगाल में बोलिएगा कि प्री-इलेक्शन एलाइंस एण्ड पोस्ट-इलेक्शन एलाइंस।

श्री उपसभापति: बैठिए न। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: केरल में बोलिएगा कि प्री-इलेक्शन एलाइंस एण्ड पोस्ट-इलेक्शन एलाइंस। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी ...(व्यवधान)... अहलुवालिया जी, आपका नाम है। आप बोल रहे हैं न, आप नहीं बोल रहे हैं तो ठीक है। मैं इंटरवीन करने दूंगा, मगर आप बोल रहे हैं तब ...(व्यवधान)... क्या बोल दिया ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: अगर आप मुझे पांच बार टोकेंगे तो ...(व्यवधान)... मालूम है न ...(व्यवधान)... दस बार भी टोकेंगे। Sir, I do not say that this is not an analysis, and this is not subjective. Yes; they are correct. It is a mandate for secular Government, and it becomes our responsibility to see that a secular combination comes to power in Bihar and the earlier it is done, the better it is. I am sure, the Presidential rule in Bihar will not be taken as a continuity. It is not an option; it is a compulsion. It is not an option; it is a compulsion, and it has to be seen that this compulsion does not continue beyond a certain time and if that does not happen, and, unfortunately, if that does not happen, then it is better that we should go in for an election.

Sir, the next point is regarding collective responsibility. Time and again, it has been discussed. I know, Sir, I am not saying it from a lawyer's point of view. The issue which was very close to us in the Left was disinvestment, and there was a specific difference of opinion on this issue between two Ministers of the earlier Cabinet. Mr. Naik was differing on the issue of disinvestment of the BPCL and the HPCL. It was in this House, when a Calling Attention Motion was brought, that a three months' sort of—what you call—ceasefire, three months' thinking was there by the Cabinet because of difference of opinion between Mr. Ram Naik an . the Disinvestment Minister. Mr. Ram Naik's comments were not in favour of this disinvestment. He did not favour it. That has come in the Parliamentary Committee's Report also. For three months', there was a thinking in the Cabinet. It was not between the Coalition partners; it was between these two Ministers. Mr Mahajan is not here. On the BSNL issue, the Ministry's comments had come. But apart from that, apart from taking a legal view. I want to say that Mr. Ravi Shankar Prasad will be the happiest man, if the Railway Minister is out of the Cabinet, out of Bihar and, probably, they want to see that he should be out of India also; he should be thrown somewhere else. But the people of Bihar do not want it, and, that is why, they have given him 75 seats. That is a fact. Sir, regarding Bihar's interest, I am again saying, let us not be subjective here. Yes; Sir, बिहार की जनता को एक पोपुलर गवर्नमेंट चाहिए। बिहार की जनता को उनके इश्यूज़, विकास की बात, अनइम्प्लायमेंट जो सबसे बड़ा इश्यू बिहार में है, इन सब के लिए उनको एक सरकार चाहिए, those who will address these issues. उसके लिए उनको क्या मिला? I accept the issues and the figures which Mr. Ravi Shankar has quoted, I need not repeat them here.

These are absolutely correct. If these are figures, what did these thirteen Ministers in the NDA Government from Bihar give them back What did they give them except for creation of Jharkhand from Bihar?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: The NDA Government gave them Rs. 42,000 crores worth of projects? ...(*Interruption*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I know ...(*Interruption*)... I will say what they gave? ...(*Interruption*)... I know. I am on a limited point ...(*Interruption*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him say what he wants to say ...(*Interruption*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I call for a debate on this issue? They gave it all back ...(*Interruption*)... It is becoming personal now. ...(*Interruption*)... We gave one lakh crore's package from the Central

Budget. Did you do that? What are you saying? ...(*Interruption*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, let the next speaker speak.

श्री दीपांकर मुखर्जी: 13 मिनिस्टर्स और क्या दिया था आपने बिहार को? हम तो इतने बड़े आदमी नहीं है, यह सब नहीं जानते। हमको तो यह मालूम है कि आपने बिहार को बांटा। किसी ने उस दिन उल्लेख किया था, ओला साहब बैठे हुए हैं, उनके जमाने में ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: लेकिन, आपकी सरकार ने क्या दिया बिहार को? एक लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे थे। ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, please ask him to keep quiet ...(*Interruption*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, I will alow him to speak ...(*Interruptions*)... Mr. Narayanasamy, I will allow him to speak, please don't worry.

श्री दीपांकर मुखर्जी: किसको क्या दिया? हमने पढ़ा है। हमको फर्टिलाइजर का मालूम है, आपको भी मालूम है, क्या मिला है एन॰डी॰ए॰ की सरकार के समय झारखंड और बिहार में। सिंदरी कहां है? झारखंड में, बंद। बरौनी कहां है? बिहार में, बंद। क्या दिया? यह गिफ्ट है। एटीसी रांची का क्या हाल है? बंद। यह दिया आपने। ...(**व्यवधान**)... बिहार को आपने क्या दिया है? बिहार से 13 मंत्री थे, आपने क्या दिया? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: रवि शंकर जी, आप उनको बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... यह पार्लियामेंट है। अब आप जैसा चाहते हैं, वे नहीं बोलेंगे और वे जैसा चाहते हैं, आप नहीं बोलेंगे। आप क्यों बीच में दखल देते हैं। आप बैठिए।

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, दूसरी, बात, यह एक "Economic strangulation of Bihar" है। जब हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर यशवंत सिन्हा साहब थे, उस समय उनके जो एडवाइजर थे, जिनका काफी नाम था, मोहन गुरूस्वामी साहब, उनका यह "Economic strangulation of Bihar" है। मेरा ख्याल है कि जब अहलुवालिया साहब बोलेंगे तो इस किताब के फैक्ट्स फिगर्स और उन विषयों को जरूर उठाएंगे।

उपसभापति जी, मैं कहना चाहता हूं।, स्पेसिफिकली एनडीए को, टीडीपी को, कि यह आता है सेकुलर का शब्द इलेक्शन के टाइम, संविधान में यह शब्द है और उस तरह से this word should not be distorted or ridiculed. Yes, a majority of the people believe in it.

I would also expect that the Home Ministry makes all efforts, all the secular parties make thier efforts, to see that a popular Government is formed in Bihar, and also that the problems of the Bihar Government and

development of the people of Bihar would be addressed expeditiously.

श्री कमाल अख्तर (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, बिहार में राष्ट्रपति शासन की इस चर्चा में ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हम लोग राष्ट्रपति शासन के हमेशा विरोध में रहे हैं, लेकिन जो बिहार में परिस्थितियां रहीं, जो जनादेश रहा, उसको देखते हुए इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचता था।

उपसभापति जी, मुझसे पहले बहुत से लागों ने समाजवादी पार्टी के बारे में कहा, समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगाया कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष सरकार के खिलाफ हैं। हम यहां यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने लिखकर दे दिया था कि एन॰डी॰ए॰ और रा॰ज॰द॰ के जो भी गठबंधन हैं, उनको हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का सवाल ही नहीं बनता। जहां तक राष्ट्रपति शासन की स्थिति का सवाल है, तो सारा देश देख रहा है, सारा देश मीडिया के माध्यम से देख रहा है, सब लोग जानते हैं कि केन्द्र सरकार के अंदर, बिहार के चुनाव लड़ने के बाद बड़े बड़े दल के रूप में उभर कर आने वाले लोग, यहां दिल्ली के अंदर केन्द्र सरकार में एक जगह बैठते हैं, एक ही सरकार के कबीना मंत्री बनते हैं, लेकिन बिहार के अंदर करोड़ों लोगों की अभिलाषाओं, वहां की लोकप्रिय सरकार बनाने की लोगों की इच्छाओं को कुचलने का काम करते हैं, उनकी अभिलाषाओं की अपने निहित स्वार्थों के लिए बलि चढ़ा देते हैं आज हम लोग इस बात को स्पष्ट तौर पर कह देना चाहते हैं कि अगर बिहार के अंदर लोकप्रिय सरकार नहीं बनी है, तो इसके लिए वे लोग जिम्मेदार हैं, जो दिल्ली की इस यू॰पी॰ए॰ सरकार के अंदर गठबंधन की सरकार को चला रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर अपने स्वार्थों के लिए वहां की जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं।

दूसरे, माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि आज आप देख लीजिए कि 15 साल तक बिहार में इस तरह का राज रहा, जिसमें गरीब जनता का शोषण और उत्पीड़न बुरी तरह से होता रहा, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, बाढ़ और सूखे के कारण जनता हमेशा तबाह-ओ-बर्बाद होती रही। आज जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है तो हम लोग कहेंगे कि अभी तक, राष्ट्रपति शासन लगने के इतने दिन बाद तक, भी वहां पर सलाहकारों की नियुक्ति नहीं हुई है ताकि बिहार को सही रास्ते पर लाया जा सके, 6 माह या जितने समय के लिए भी राष्ट्रपति शासन रहे, उतने समय तक बिहार का विकास हो सके, गरीब जनता को राहत मिल सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके और वहां पर तरह-तरह से जो लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, तरह-तरह से जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन पर नियंत्रण लगाया जा सके। सलाहकारों के नाम पर भी सरकार बैठकर आज नूरा-कुश्ती का खेल खेल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां वहां पर राष्ट्रपति शासन के लिए रहीं, जिन परिस्थितियों के कारण वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से अनुरोध करते है कि वहां पर इसे जल्दी से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। हम लोग इस बात के पक्षधर हैं कि बिहार को आप

जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन से मुक्ति दिलाएं और तब तक वहां जल्द से जल्द सलाहकार नियुक्त करके जनता को राहत दिलाने का काम करें। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri C. Ramachandraiah. You have five minutes. I mean, this is not Andhra Pradesh; you can complete it within five minutes

SHRI C. RAMACHANDRAIAH. Sir, I am not going to speak about Andhra Pradesh ...(*Interruptions*). There are very strange definitions I am learning now . .(*Interruptions*)... about secularism, about joint responsibility, about collective responsibility, etc. Sir, I stand here to support the Proclamation issued by the President on 7th March, 2005, under article 356 of the Constitution in relation to Bihar State. Sir, I think, more than hundred times, article 356 has been invoked to impose President's Rule, and every time, there was a controversy except situations like this. And, the Government of India really had a Hobson's choice to invoke article 356 under the peculiar situation that had cropped up, as explained by the various speakers. Sir, there is no substitute for a popular Government. In my opinion, even if it is a minority Government, I personally feel that an elected government should be there as compared to the President's-rule Sir, everybody is aware how Bihar has remained underdeveloped for various reasons. I do not want to fix up the responsibility or make some allegations against a particular party. Electoral rhetoric has centred around what is secular, non-secular, forward, backward, etc., and conflicts between castes and sub-castes. So, that is the case. What exactly is the responsibility of the Indian polity, not the Government alone? This situation might not have been contemplated by the farmers of the Constitution. Sir, the reality is that national politics has failed to deliver the goods in this country. That is why, the regional parties have cropped up, and people have reposed confidence in regional parties so that they can live up to their expectations. Resultantly, a number of regional parties have cropped up, and getting a structured mandate has become a stupendous task in this country. Coalition Governments are the order of the day, whether one accepts it or not. So, how to make these coalition Governments more effective to subserve the interests of the people of this nation; that is the problem this nation is facing.

Sir, I quote a political scientists who said, "The punishment suffered by the wise who refuse to take part in the Government, is to live under the Government of bad men." Sir, the political parties have to ponder over it and arrive at a solution so that the President's Rule is not continued for

long, and, an elected Government is established. I don't mind because all the political parties have been convenient with this; you fight the elections separately, and, join after the elections, totally negating the spirit of the democracy. You give us the reason that it is the political expediency, and, under the guise of political expediency, you are totally negating the spirit of democracy.

Mr. Dipankar Mukherjee has been quoting the Preamble of the Constitution. How democratic we are — honestly I am questioning — how democratic really we are in the spirit. Are we not subverting the spirit of democracy in this country just to grab the power? You have united here to share the power. You fought the elections there exclusively to grab the power. You are united here to share the power, you fought the elections exclusively to grab the power, and, that is the only cementing factor. What is the ethicalness in it? What is the democratic spirit in it? That is all convenience game we are playing, and, let all the political parties ponder over this matter and arrive at a conclusion as to how to face situations like this

I remember once Mr. Vajpayee had made a proposal for the National Government ...*Interruptions)*... It might be what you are ...*(Interruptions)*... You are giving Notional Governments ...*(Interruptions)*...

Sir, it is well known that Bihar was such a place where Buddha got the enlightenment, and, it has the Nalanda University. I read history about the Nalanda University, it had got a surgical instrument that could vertically split a hair, and, it was an international university. Bihar is the place where Kautilya had written Arthshastra and presented that to the world. That was the Bihar, and, see, what has happened to Bihar now. It is so under-developed, so illiterate, and so backward, as Mr. Prasad just mentioned.

Therefore, Sir, what I am trying to say is that we should discard the opportunity to share the power. See, what happened recently in Jharkhand? Till yesterday, Madam Sonia Gandhi had been proved to be an embodiment of sacrifice, supreme sacrifice. Ultimately here image has been dented ebcause of a wrong decision ...*(Interruptions)*... That is the people's perception. That is my perception also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ramachandraiah, please conclude ...*(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: No, I am praising her-...*(Interruptions)*... She is the embodiment of supreme sacrifice, personification of supreme

sacrifice, and, you have dented her image by conferring on her a simple Cabinet rank.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ramachandraiah, you have already taken six minutes against allotted five minutes. This is my problem. Please conclude.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Okay, Sir. What I am trying to say ...*(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, I have a point of order. Earlier when Dipankar or somebody uttered the name of one Member ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have removed. I have already removed the name ...*(Interruptions)*... You have not heard.

SHRI VAYALAR RAVI: You have removed the name ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How did you not hear it? ...*(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, the need of the hour is to establish a popular Government, even if it is a minority Government. I can fully appreciate the predicament in which the Governor is placed there. Sir, every action of the Governor is checked and questioned by the political parties, if his decision goes against their interest. Convene a meeting of all political parties, arrive at a consensus but don't give a new interpretation to the political concepts that have been evolved in this country.

There is a saying, when you are unable to convince a fellow, better confuse him. This is what is being done here. First time, a strange definition has been given about the 'joint and collective responsibility'. What example are they setting before the nation? They are staging a walk out; protesting against the nation. What more inference can the nation draw? They are making allegations against each other. They are fighting there. You are a facilitator. For your convenience, you are a facilitator; you are a cementing factor; you brought them together under one umbrella — 'sharing the power'. What has happened in Bihar? What happened to the leader's image? So, for Bihar's interest, kindly do it. There are so many things we can say. I am saying honestly, I do not know whether I should use these words. This august House should not be used for washing dirty lines. ...*(Interruptions)*... That is why I am not seeing them; I am seeing you only because you are a puritan. By saying that those people have done it at that time, so now we are doing, you cannot justify it. Can you justify it? In what way you are different from other parties? You claim to be very altruistic. Let us share

the responsibility. You claim yourselves to be a party, which has had 100 years' history; which has brought freedom to this country. It is well and good. You have been arrogating to yourself so many things, then arrogate this thing also. But you try to live up to the expectations of the people and try to install a stable Government. How best it has to be done, you have to do it. Convene a meeting of all political parties. Thank you, Sir.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय शिवराज वी॰ पाटिल द्वारा परिनियत संकल्प, जो बिहार के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपसभापति महोदय, इतना तो पता था कि बिहार कभी बाढ़ से और कभी सुखाड़ से ग्रसित होता रहा है और हर बार बाढ़ और सुखाड़ वहां के कई परिवारों को घर से बेघर कर देती है, रोजगार छीन लेती है, गरीबी की भरमार दे जाती है, बीमारियों के अंबार दे जाती है, परन्तु इस बार आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार की जनता ने अपने प्रतिनिधियों के रूप में अपने विधायक चुनकर भेज दिये, लेकिन वहां पर उनकी चुनी हुई सरकार नहीं बन सकी। वैसे तो बिहार में कई बार धारा 356 का प्रयोग करते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगा है या लगा होगा और मैं समझता हूं कि इस सदन के अंदर कांग्रेस को छोड़कर शायद ही कोई दल होगा, जा धारा 356 का घोर विरोधी न रहा हो। यह दुर्भाग्य है कि बिहार की जनता ने अपने विधायक चुनकर भेजे भी, लेकिन वहां एक पापुलर गवर्नमेंट बन नहीं सकी। यह बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है।

उपसभापति महोदय, मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार पाटिलीपुत्र उजड़ गया, तो बस रहा था, लोग अपने घर बना रहे थे। गौतम बुद्ध वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा तुम इसे क्यों बसा रहे हो? उन्होंने कहा उजड़ गया है, पुन: बसाना पड़ेगा। गौतम बुद्ध बोले – यह तो बार-बार उजड़ेगा। हमें वस्तुस्थिति ऐसी लगती थी कि शायद बाढ़ के कारण या सुखाड़ के कारण बिहार उजड़ता है, प्रो॰ भंडारी जी यहां पर बैठे हैं। पानी हमारी गंगा का नहीं, नेपाल का पानी आकर डुबाकर चला जाता है। बात सच है। नेपाल से पानी आता है, बारिश हमारे यहां होती नहीं है किन्तु बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में हमारे खेत डूब जाते हैं, घर बह जाते हैं, हमारे मवेशी बह जाते हैं, हमारे लोग बह जाते हैं। वह नुकसान होता रहता है और उसका क्या आलम होता होगा, उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। महोदय, मेरे पूर्ववक्ता जब इस संकल्प पर बोल रहे थे तो नोंक-झोंक हो रही थी और तरह-तरह की बातें उठ रही थीं, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता। मैं तो सीधी बात करना चाहता हूं कि यह जो सोशल अनटचेबिलिटी सोसायटी में थी, उसको बंद करने के लिए हम लोगों ने कानून बनाया और कानून बनाकर उस अनटचेबिलिटी को समाप्त किया, उसे एक अपराध के रूप में लोगों को बताया। किन्तु एक नयी अनटचेबिलिटी का जन्म हुआ है, वह है पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी। यह पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी देश को, राष्ट्र को कितनी महंगी पड़ेगी — उस वक्त तो एक दल का शासन हुआ करता था इसलिए तब यह महसूस नहीं होता था — परन्तु जब यह coalition concept हमारे देश में शुरू हो गया है, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के

स्तर पर, तब इसका अहसास महसूस होगा। महोदय, कुछ लोगों ने कहा कि बिहार के लोग illiterate हैं। हां, आंकड़ों पर जाऊं तो शायद मुझे भी कहना पड़ेगा कि literacy rate ... (व्यवधान)... नेशनल ऐवरेज जो है, वह 65 परसेंट है और बिहार 47 परसेंट है किन्तु मैं इस आंकड़े को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मैं कहता हूं कि यह बिहार का आंकड़ा हो सकता है, बिहारी का नहीं है। आप मुझे वह शहर दिखा दीजिए जहां का अफसर बिहारी नहीं है। आज मुझे वह शहर दिखा दीजिए जहां का पुलिस अफसर बिहारी नहीं है। आज मुझे वह हॉस्पिटल दिखा दीजिए जहां का डॉक्टर बिहारी नहीं है। बिहारी अनपढ़ नहीं है। बिहार की अवस्था, राजनैतिक परिस्थितियों ने बिहारियों को मजबूर किया, बिहार से बाहर जाकर पढ़ने के लिए। आज दिल्ली के जितने मुख्य कॉलेज हैं, वहां जाकर आप देखिए, बहुसंख्यक छात्र या छात्राएं बिहारी हैं। ...(व्यवधान)... बिहार में भी डोनेशन लगता है?

एम माननीय सदस्य: मैंने कहा डॉमिनेशन है।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: मैं डॉमिनेशन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए, किसी भी कॉलेज में — चाहे वह इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी का कोई भी विभाग हो — बिहारी छात्र और छात्राएं वहां पर पढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में ...(व्यवधान)... सब जगह ये हैं, परन्तु महोदय, बिहार राज्य पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से पीछे जा रहा है। बिहार में ही एक ऐसा केस हो सकता है, जहां पटना स्टेशन का प्लेटफॉर्म नम्बर-1 गिरवी रखा जा सकता है। बिहार में हो सकता है, यह संभव है और हुआ है। बिहार के पिछड़ा होने का कारण यही है। बिहार में यह हो सकता है। महोदय, बिलो पॉवर्टी लाइन का अगर हम ब्यौरा देने बैठें, तो नेशनल ऐवरेज है 26.1 परसेंट और बिहार का ऐवरेज है 42 परसेंट। क्यों है? लालू प्रसाद जी कहते थे, जब यह बात चल रही थी — टी॰एन॰ सेशन चला रहे थे — कि कार्ड बनाना है, वोटर आईडी कार्ड बनाना है, उन्होंने अपना एक तर्क दिया था। तर्क यह दिया था कि हमारे लोगों के पास पहनने के लिए लुग्गा नहीं है तो वे कार्ड को कहां रखेंगे, जब पॉकेट ही नहीं है? घर भी नहीं है कि ताले में बंद रखें, बक्सा भी नहीं है कि उसमें रखें — यह गरीबी का आलम है। पर इन सारी चीज़ों पर मैं यह बात क्यों कह रहा हूं? कहने का मूल कारण यही है कि जब जनता ने अपनी सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधि चुने — आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो राष्ट्रपति शासन गुंडे, बदमाशों के लिए या अपराधियों के लिए एक आतंक का कारण होगा, क्योंकि उनके खिलाफ जो मामले कचहरियों में लंबित हैं या थानों में उनके वारंट पड़े हैं, उनका अमलीकरण होगा, उनका इंप्लिमेंटेशन होगा, वह लागू किया जाएगा, इसलिए उनके लिए तो आतंक होगा, किंतु विकास कैसे होगा? विकास तो जन-प्रतिनिधि करते हैं। हमारे यहां परंपरा है कि जनशक्ति को सबसे बड़ी शक्ति कहा गया है — लोक शक्ति — और उस लोक शक्ति के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही जब विकास के कामों में अपने आपको जोड़ नहीं सकेगा, तो वहां का विकास कैसे होगा? उसके लिए मेरा यही कहना था कि जब तक... मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता, जो हमारे दीपांकर भाई ने शुरू की, कि सेक्युलरिज्म वर्ड पर ऐसा क्यों कह गया? कभी मौका लगेगा तो मैं इस पर चर्चा

करूंगा कि जब सेक्युलरिज्म वर्ड कंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं था तो हमारे समाज में कितना तनाव था और जब सेक्युलरिज्म वर्ड कंस्टीट्यूशन में add हुआ, उसके बाद कितना तनाव हुआ? कम हुआ या ज्यादा हुआ, इसका आकलन करने के लिए कोई स्केल लेकर बैठना पड़ेगा और समय रहते, हमारे देखते-देखते ही इस पर चर्चा जरूर होगी। ...(व्यवधान)...

श्री वी॰ नारायणसामी: यह बाद में करना।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदय, यह जो कहा कि बाद में करना, यह वैसा ही है कि उनको कभी भी उन तकलीफों का दर्द समझ नहीं आएगा, जिन्होंने देश आज़ाद होते-होते 14 अगस्त, 1947 की रात, जिस दिन देश की आज़ादी हुई, उस दिन भारत माता की दो बाहों को काट दिया गया, दो टुकड़े कर दिए गए, उक्त जिनको अपने घर, अपना स्वर्ग, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर, नंगे पैर भाग-भाग कर शरणापन्न होना पड़ा था, उनका कष्ट आप कभी नहीं समझेंगे जब तक आप वह खुद नहीं भोगेंगे।...(व्यवधान)... अब देखिए, सर, कोई वर्ड बोलेगा। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात)**:** सर, क्या यह मज़ाक का विषय है?

श्री उपसभापति: क्या?

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, अगर कोई वर्ड बोलेगा तो आप कहेंगे कि मैं expunge कर देता हूं।

श्री उपसभापति: बैठकर बोलें तो मैं क्या करूं?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: आप मेरी बात सुनिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will not go on record. मैं क्या expunge करूं?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री उपसभापति: बैठकर जो बोलते हैं, आप जानते हैं, बैठकर जो बोलते हैं ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, मैं जो कह रहा हूं, वह सुन लीजिए कि अगर वे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप कहेंगे कि मैं expunge करता हूं, पर जेस्चर्स और मुंह से आवाज़ निकालने को आप कैसे expunge करेंगे? यह मानसिकता है, यही मानसिकता है। यह मानसिकता उन लोगों का अपमान करती है, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी देते हुए भी अपना घर लुटाया, अपने घर जलवाए। यह उनके खिलाफ है, यह मानसिकता बताती है। इसीलिए बिहार का दर्द भी इनको समझ नहीं आएगा। इनके लिए बिहार मज़ाक का विषय हो सकता है, लेकिन

हमारे लिए नहीं है। बिहार के लिए आंकड़े गिनाने के लिए तो आप कुछ भी कह देंगे कि बिहार में इतनी सीटें फलानी पार्टी को मिलीं और इतनी सीटें उनको मिलीं, पर बिहार ने एक मैनडेट दिया है और वह मैनडेट अगर फैक्चर्ड मैनडेट है, अगर हमारे संविधान बनाने वालों ने वैसा कोई रास्ता नहीं बनाया है तो आज जब ऐसी वस्तुस्थिति सामने है, उसका रास्ता निकालने के लिए क्या कोशिश की गई? क्या यह बैक डोर से, एक राज्य पर 356 लगाकर राज करने की नीति अपनाई गई, या वाकई जो देश का सैकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटिड स्टेट है, उसकी जनता के मैंडेट के साथ एक मखौल किया है, या उनके भविष्य के बारे में वाकई सोचने के लिए, वाकई एक गवर्नर के नीचे एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर, कुछ करने की कोशिश की गई है? आज तक उनके सलाहकार नियुक्त नहीं हुए हैं, और सिर्फ एक आदमी को आपने पूरे बिहार को सौंप दिया कि इस बिहार का भविष्य वही निर्धारण करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बोलने दीजिए, बीच में बैठकर बात मत करिए।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: महोदय, मेरा यही कहना है कि मैं अगर बिहार की गौरवगाथा गाने लगूं तो यह वह बिहार है, जहां वैशाली है। जिस वैशाली ने सारे विश्व को पहला रिपब्लिक दिया। यह वह बिहार है, जहां के नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, जिसमें ब्रिटिश jurisprudence तो हमको विरासत में मिला क्योंकि अंग्रेज जाते-जाते छोड़ गए, किन्तु कॉलेट कौटिल्य jurisprudence, जिसके बारे में उल्लेख सारी दुनिया में होता है, उस कौटिल्य ज्यूरिसप्रूडेंस को हमने त्याग दिया। ...(समय की घंटी)... यह बिहार हमारे राष्ट्र के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, बहुत कुछ देता है। इस बिहार के लोग यदि पंजाब में न जाएं तो पंजाब के खेत सूख जाएंगे, हरियाणा न जाएं तो वहां के खेत सूख जाएंगे, इस बिहार के लोग यदि मुम्बई न जाएं तो मुम्बई रुक जाएगा, कलकत्ता रुक जाए, चाय बागान बन्द हो जाएंगे। लेकिन उस बिहार ने जब एक ऐसा मैंडेट दिया, मैं नहीं समझता कि केन्द्र सरकार के किसी मंत्री ने बैठकर, प्रधानमंत्री ने बैठकर या किसी उपदेशता मंडली के सदस्यों ने बैठकर विचार-विमर्श किया होगा कि वाकई इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। आपके ही दो मंत्री बीच में लड़ रहे हैं, आपने ही उनको लड़वाया है। जो लड़ रहे हैं, वही दोनों इकट्ठे होकर सरकार बना लें। आप उसमें हिस्सेदार हैं, आपके केन्द्र में सत्ता के पूरे के पूरे भागीदार हैं। आपने पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का एक स्लोगन देकर, चारों तरह से एक नया आयाम शुरू कर दिया है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह आज सुबह उपराष्ट्रपति जी ने और राष्ट्रपति जी ने बताया था कि हर मंथन का, हर डिबेट का कहीं अंत होना चाहिए। डिबेट यह नहीं है कि हम बोलते जाएं और आप सुनते जाएं, आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं, खत्म होनी चाहिए और कहीं न कहीं उसका अंत होना चाहिए। उसका निराकरण होना चाहिए। ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति: भाषण का भी अंत होना चाहिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: निराकरण यही है कि गृह मंत्री महोदय सदन को बताने की कृपा करें कि आखिर उनके पास रोड मैप क्या है और वहां क्या करना चाहते हैं? वहां राष्ट्रपति शासन सिर्फ 6 महीने तक ले जाएंगे, 6 महीने बाद फिर एक बार एक्सटेंशन ले जाएंगे। यह उसका सोल्युशन नहीं है। पूरे सदन को बताएं और सदन के माध्यम से पूरे राष्ट्र को बताएं कि आखिर आपका रोड मैप क्या है? आप इन 6 महीनों में क्या करने जा रहे हैं? वहां जो इल्लिट्रेसी है, वहां जो गरीबी है, वहां जो अन-इम्पलाइमेंट है, वहां जो स्कीमें रुकी हुई हैं, उनके लिए क्या करेंगे और उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा,? सिर्फ राज्यपाल या आप राज्यपाल के साथ कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त करें, जो परास्त हुए हैं या जिनके खिलाफ मैंडेट गया है, उनके कहने पर नहीं। ऐसे सलाहकार नियुक्त करें, जो वाकई बिहार के भविष्य को वापस पटरी पर ला सके, बिहार एक गौरवमय बिहार कहला सके और हर बिहारी गर्व से कह सके कि गर्व से कहो कि हम बिहार के वासी हैं, बिहारी हैं और भारतवासी हैं।

प्रो॰ राम देव भंडारी: माननीय उपसभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बिहार में राष्ट्रपति शासन के संबंध में अनुमोदन के लिए जो प्रस्ताव आया है, उस पर बोलने का अवसर दिया है। महोदय, फरवरी में बिहार विधान सभा का चुनाव हुआ था। जनता चुनाव इसलिए करती है ताकि राज्य में उसकी अपनी सरकार बने। इसी लक्ष्य से, इसी विश्वास से जनता ने बिहार के चुनाव में अपना मतदान दिया। यह सही है कि इस बार बिहार के चुनाव में किसी एक दल को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली। 243 के सदन में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए 122 सीटों की जरूरत थी, जो किसी दल को नहीं मिली, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन दलों को जनता ने अपना मद देकर सदन में भेजा, उन दलों में राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें लेकर अव्वल स्थान पर रहा। इतना ही नहीं 95 सीटों हो सकता है कि एकाध स्थान आगे-पिछे हो जाए, 95 सीटें लेकर राष्ट्रीय जनता दल दूसरे स्थान पर रहे। रवि शंकर जी बोल रहे थे, मैंने उन्हें बहुत ध्यान से सुना है, वे कह रहे थे कि इस बार का मैंडेट राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 75 सीटों पर पहले स्थान पर और 95 सीटों पर दूसरे स्थान पर जिस पार्टी को जनता वोट देती है, उसके लिए आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार की जनता ने उस पार्टी के खिलाफ मैंडेट दिया है? मेरे पास इस बार के असेम्बली इलेक्शन की सीट्स और परसेंटेज ऑफ वोट्स के कुछ आंकड़े हैं, जो इस प्रकार हैं - राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटे मिलीं और वोट 25.07 प्रतिशत मिले, भारतीय जनता पार्टी को 37 सीटें मिलीं और वोट 10.97 प्रतिशत मिले, एल॰जे॰पी॰ को 29 सीटें मिलीं और 12.62 प्रतिशत वोट मिले, जे॰डी॰यू॰ को 55 सीटें मिलीं और वोट 14.55 प्रतिशत मिले। रवि शंकर जी, आपकी पार्टी बिहार में चौथे स्थान पर गई है, आप कह सकते हैं कि अगर जे॰डी॰यू॰ को साथ ले लेंगे, उसके बावजूद भी हमारा जो वोट का प्रतिशत है, उस वोट के आसपास ही है, हो सकता है कुछ प्वाइंट आगे हो। हमने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, अगर हम उन मित्रों के मतों को जोड़ देंगे तो हम आपसे कहीं आगे चले जाते हैं। दूसरी बात रवि शंकर जी कह रहे थे, जो सेक्युलर फोर्सेज की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की जो बात करते हैं, इस चुनाव में ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु यदि

आप पार्टीज की पोजीशन देखेंगे तो पाएंगे कि जिन पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, उनमें अधिकांश मत सेक्युलर पार्टीज को मिले हैं। व्यक्तिगत कारण से, या अपनी पार्टी की पोजीशन को मजबूत करने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। मैं मानता हूं कि बिहार में सेक्युलर वोटों का डिवीजन हुआ है, नहीं तो पिछली बार लोक सभा चुनाव में बिहार में आपको पांच सीटें मिलीं। 6 सीटें JDU को, झारखंड में 14 में से सिर्फ एक सीट आपको मिली। सेक्यूलर पार्टीज का गठबंधन में, कहीं न कहीं निश्चित रूप से रणनीतिक भूल हुई है, मैं इसको मानता हूं। इस रणनीतिक भूल की वजह से आज झारखंड में आपकी सरकार बनी है, नहीं तो कम से कम दो-तिहाई बहुमत से झारखंड में सेक्यूलर पार्टीज की सरकार बनती। हमें विश्वास में नहीं लिया गया, मैं मानता हूं कि यह ठीक नहीं हुआ है। इसी तरह से बिहार में भी कुछ रणनीतिक भूल हुई है। मैं इसमें जाना नहीं चाहता कि किसने यह रणनीति बनाई, किसने यह भूल की। उसी की वजह से आज आप खड़े होकर बोल रहे हैं, वरना आप बोलने की स्थिति में नहीं थे। मैंने देखा था कि लोकसभा के चुनाव के बाद आपकी आवाज चली गई थी, आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: आपके चेहरे पर उड़ रही थीं।

प्रो० राम देव भंडारी: नहीं, मेरे चेहरे पर नहीं उड़ रही थीं, मेरे चेहरे पर कोई हवाइयां नहीं उड़ रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार में अभी भी आप लालू प्रसाद यादव से मुकाबला नहीं कर सकते, लालू यादव की ताकत, बिहार में अभी भी बहुत मजबूत ताकत है, इसलिए कि जो बिहार के गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, वे सभी अभी भी लालू जी के साथ हैं। वे लालू जी के साथ क्यों हैं, यह मैं बता रहा हूं कि बिहार में बरसों से सामंती व्यवस्था रही है, बिहार बरसों तक सामंतों के हाथ में रहा है। उस व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने संघर्ष किया, डा० राम मनोहर लोहिया ने बिहार में जाकर संघर्ष किया ...(**व्यवधान**)... उसी रास्ते पर, जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर लालू जी चलते हैं। वहां हमारी सरकार 15 बरस तक थी, आपकी सरकार तो 5 बरस में ही लुढ़क गई। आप 5 बरस तक दिल्ली में रहे और 5 बरस के बाद जनता ने आपको उठाकर फेंक दिया, हम तो वहां 15 बरस तक रहे हैं। इसके बावजूद जनता ने हमें बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाकर भेजा है।

उपसभापति महोदय, अभी ये कह रहे थे कि 150 सदस्य महामहिम राज्यपाल को मिले और उनसे कहा कि लालू यादव को सरकार मत बनाने दीजिए। जब चुनाव होता है, एम०एल०ए० चुनकर आते हैं, तो राज्यपाल के यहां राजनीतिक पार्टियां दो चीजों के लिए जाती हैं-यह कहने के लिए मुझे सरकार बनाने दीजिए, दूसरी अगर मैं सरकार नहीं बना रहा हूं, तो मैं जिनका समर्थन कर रहा हूं, उनको सरकार बनाने दीजिए। मगर मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के इतिहास में शायद यह पहली

घटना है कि कोई पोलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गवर्नर के पास जाती है, यह कहने के लिए कि आप इस पार्टी को सरकार मत बनाने दीजिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिनों में गए थे, तब कौन सी सरकार थी, श्री नीतीश कुमार 7 दिनों में गए थे, वह कौन सी सरकार बनी थी ...(व्यवधान)...

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इतिहास की पहली घटना है कि RJD को सरकार मत बनाने दीजिए, ऐसा कहने के लिए ये लोग गवर्नर के पास गए थे। अगर वहां सरकार नहीं बनी है, तो इसके लिए कौन दोषी है? अगर वहां सरकार नहीं बनी है, राष्ट्रपति शासन लगा है, इसके लिए अगर कोई दोषी है, तो भारतीय जनता पार्टी दोषी है, JDU दोषी है। हम तो सरकार बनाने के लिए गए थे, हमने कहा था कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे सहयोगी हैं, आप हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए और विधानसभा में हम अपना बहुमत साबित करेंगे। मुझे अवसर मिलना चाहिए था। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि किस कारण से मुझे अवसर नहीं मिला, मगर मुझे अवसर मिलना चाहिए था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारी सेकुलर फोर्सेज, हो सकता है उस समय समर्थन नहीं मिला हो, मगर सारी सेकुलर फोर्सेज, जो चुनाव जीत कर आई हैं, उनका समर्थन हमें विधान सभा में मिलता और हम विधानसभा में बहुमत साबित करते ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए। देखिए, आप दूसरों को टोकते हैं कि आप बैठ कर बोलते हैं, आप भी बैठ कर बोल रहे हैं ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं, आप मत पूछिए, जवाब देना जरूरी नहीं है।

प्रो॰ राम देव भंडारी: आप बैठिए तो। महोदय, मैं कह रहा था कि बिहार में हमें सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए था। बिहार में 8वीं बार राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे थे। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। 1999 की बात है, वहां इनके राज्यपाल थे, उनकी सरकार भी यहां थी। हमारी सरकार चल रही थी, बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, राबड़ी देवी जी की सरकार चल रही थी। एक चलती हुई सरकार, जो अच्छा काम कर रही थी, उस सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में, इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया। इन्होंने एक चलती हुई सरकार के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाया।

महोदय, मैं एक बार फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि बिहार की जो गरीब जनता है, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, दुखी और उदास हैं। महोदय, लालू जी की सरकार नहीं बनी, वह कौन-सी सरकार थी, सामाजिक न्याय की सरकार थी। कौन थे उसमें, चीफ मिनिस्टर से लेकर बाकी सारे लोग, वे ऐसे लोग थे, जिनके बाप-दादाओं ने एमएलए, मिनिस्टर, एमपी वगैरह नहीं देखा था। लालू जी की सरकार सामाजिक न्याय की सरकार थी। इनके जैसे सामंतियों की सरकार नहीं थी। इनकी जो सरकार बनती है, उसमें सामंती लोग होते हैं, बड़े-बड़े पूंजीपति होते हैं। मगर, लालू जी की सरकार में सामाजिक न्याय के लोग होते हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, पिछड़े होते हैं, दलित होते हैं। मैं स्वयं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता हूं। मेरे बाप-दादा एमएलए नहीं

थे, मिनिस्टर नहीं थे। मगर उन्होंने घर से बुला कर मुझे राज्य सभा का मैम्बर बनाया और मैं 1992 से राज्य सभा का मैम्बर हूं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से कुमकुम राय बैठी हुई हैं, मंगनी लाल मंडल जी हैं, निशाद जी बैठे हुए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से रहमान साहब बैठे हुए हैं। यह है हमारा सामाजिक न्याय। आप देख लीजिए कि इनकी पार्टी से कौन आते हैं? इस समय बिहार में जो गरीब लोग हैं, वे मायूस हो गये हैं। आप गांवों में जाइए। सरकार नहीं बनी है, उदासी है, मायूसी है और वे आज से 20-25 वर्ष पहले की बात याद कर रहे हैं। महोदय, बिहार में जो सामंती लोग हैं, जो सामंती व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, गरीबों की बहू-बेटियों की इज्जत नहीं बचने देते थे, उनको चुनाव में वोट नहीं गिराने देते थे, लालू प्रसाद जी ने उनको सम्मान दिया, आवाज दी। आज वहां के गरीब मुकाबला कर रहे हैं, वहां के दलित मुकाबला कर रहे हैं। बिहार में जो शोषण होता था, जो अत्याचार होता था, जिस तरह से कुछ लोगों को गुलामों की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था, वैसे लोग आज जग गए हैं। लालू जी ने आवाज दी है, बोली दी है, सम्मान दिया है। वैसे लोग आज बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप खामोश रहिए।

प्रो० राम देव भंडारी: और मैं यह नहीं कहना चाहता कि बिहार में तुरंत चुनाव हो जाए, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिजल्ट के बाद हमने भी काफी लोगों से बातचीत की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर बिहार में दोबारा चुनाव होता है तो राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण बहुमत से वहां आएगी और इन लोगों का सफाया हो जाएगा।

महोदय, बिहार की जनता हम से इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि हमारा चेहरा बहुत अच्छा है बल्कि हम उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था कर रहे हैं। महोदय, अभी माननीय सदस्य बिहार के पिछड़ेपन की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, मैं पूछता हूं क्या बिहार के पिछड़ेपन के लिए एक आदमी दोषी है? क्या बिहार के पिछड़ेपन के लिए एक पार्टी दोषी है? महोदय, बिहार प्राकृतिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। अभी बिहार की बाढ़ की चर्चा अहलुवालिया जी कर रहे थे। महोदय, हर सत्र में चाहे कोई भी सरकार रही हो, हमने बिहार की बाढ़ का मुद्दा बार-बार उठाया है। झारखंड बनने के बाद बिहार के 20 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं वहां हर वर्ष बाढ़ आती है।

महोदय, हम ने सारी पूंजी झारखंड में लगायी थी और इसलिए लगायी थी कि वहां रॉ-मटैरियल था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन बंटवारा होने के बाद सब कुछ झारखंड में चला गया। अब हमारे यहां माइंस नहीं हैं, आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन हर वर्ष बाढ़ और सुखाड़ से बिहार को विपदा झेलनी पड़ती है। पिछली बार बिहार से 13 मिनिस्टर थे, इस बार भी 8 मिनिस्टर, हैं, मगर जब भी बिहार को कुछ देने की बात होती थी, उस समय उनके मन में बिहार का विकास नहीं होता था, उस समय उनके सामने लालू यादव होते थे। अगर बिहार को पैसा गया तो लालू यादव की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। महोदय, आज बिहार के सबसे बड़े विरोधी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार के हैं, जो दिल्ली में रहते हैं और बिहार के बारे में तरह-तरह की बातें बोलते हैं। आम तौर पर लोग अपने

प्रदेश के बारे में, उसके सम्मान के लिए अच्छी बातें बोलते हैं, अगर कुछ नहीं भी हैं तो भी बोलते हैं। अभी अहलुवालिया जी ठीक कह रहे थे कि बिहार के बच्चे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में पढ़ने के लिए जाते हैं। वे बड़े मेहनती होते हैं। वे दिल्ली के कॉलेजों में पढ़ते हैं और नेशनल लेवल की परीक्षाओं में बहुत अच्छी पोजीशन लाते हैं। जिन लोगों की आदत पड़ी हुई है बिहार को बदनाम करने की, उनसे बिहार का विकास नहीं होगा। ऐसे लोग बिहार का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने अपना वोट राष्ट्रपति शासन के लिए नहीं दिया है, बिहार की जनता ने वहां एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना वोट दिया है। किसी पॉलिटिकल प्रॉब्लम का हल राष्ट्रपति शासन नहीं है। वह तो टैंपेरेरी अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन वह कोई हल नहीं है। जनता की भावना का, जनादेश का आदर होना चाहिए। यह कोई पहला उदाहरण नहीं है। पहले भी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आयी है, उसे सरकार बनाने का मौका दिया जाता रहा है। इसलिए मुझे बिहार में सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं राष्ट्रपति शासन का समर्थन नहीं करता। मुझे सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री बी० के० हरिप्रसाद।

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I rise to support the Resolution moved by the hon. Home Minister for approval of the proclamation of the President's Rule in Bihar. Sir, it was a strange situation in Bihar where, after the recently concluded elections in February since no political party got the numerical strength to form a stable Government, article 356 had to be invoked.

Sir, this time the situation in Bihar was not one where there was a scope for any misapplication of the article in the literal sense. There was no dismissal of an elected Government. It was simply a Government refusing to be born in Bihar. Our colleague, Shri Ravi Shankar Prasad, was eloquent while expressing his views on the need for President's Rule in Bihar.

He was saying that it is a mandate against the Lalu Prasad Yadavji, or, may be, he was claiming as if it was a victory for the NDA. Shri Dipankarji was saying that it is a fractured mandate. Sir, let me make it very clear that it is not a fractured mandate. It is a mandate for the formation of a secular Government in Bihar. There is no doubt about that. Shri Ram Deo Bhandaryji was quoting the vote percentage of different political parties in Bihar. Shri Ravi Shankar Prasadji was saying that the Congress was the most confused political party in Bihar. Let me make it clear that our stand in Bihar was very clear. We were unitedly fighting 120 seats with the RJD

4.00 P.M.

in Bihar Because in 108 seats, there were sitting Members, and there were 12 Congress Members in the previous Assembly, in rest of the 80-odd seats, where there were NDA candidates, it was free for all. He was saying that we had invented a new code by calling it a 'friendly fight'. As far as Bihar is concerned, 'friendly fight' is not new. We had witnessed it in 1995; we had witnessed it in 2000. It is not a new phenomenon in Bihar politics.

Sir, let me put it in other words. The mandate was clearly against communalism; that the communal forces should not stake any claim to form the Government in Bihar. That was the mandate given by the people of Bihar. Hats off to that. Sir, the NDA was making the law and order problem as a major issue in the Bihar elections. According to the NDA, the number of unhindered crimes is a cause for worry. No doubt. We have expressed our reservations on that. But, the NDA should know that effective policing is only a part of the solution. Respectfully, I submit in this august House that this is only a small part. The bigger element responsible for this problem is the sociological aspect of it, the rate of illiteracy and the rampant unemployment in Bihar. Shri Ahluwaliaji was rightly defending Bihar by saying that it is not illiterate; it is not poor, but it has been projected as illiterate and poor. Of course, the majority of population which is illiterate is represented by Lalu Prasad Yadavji. The majority of population which is literate, which has migrated from Bihar is represented by different political parties. it is a sociological aspect to which each and every political party should put their heads together for the development of one of the ancient States, which was a model State in this country.

Sir, Lalu Prasadji may have been defeated; he might not have got the numbers to form the Government, he might not have achieved the biggest thing; he might not have brought the Moon to the ground; nor had he given big slogans like 'shining Bihar' or 'feel-good-factor'. But, definitely, he never allowed even a single communal riot in Bihar in the past 15 years. It is the greatest achievement for any Government. That was the necessity of Bihar. Sir, for no reason, Bihar was projected as *'jungle raj'* by some of the members of the NDA in their campaign against the RJD and its allies.

Sir, Shri Ravi Shankar Prasad who is known for oratory was saying that the per-capita income of Bihar is the lowest. The number of people living below the poverty line is the highest in Bihar. Fine. No industries have come up in Bihar in the last few years. It is accepted. The NDA Government

at the Centre had the largest number of Cabinet Ministers representing Bihar. What were they doing for the last eight years? Bihar has got a great irrigation potential. But, let me bring it to the notice of this august House that no new irrigation project for Bihar was supported by the Central Government.

No new power project was sanctioned to Bihar and they were talking about the collective responsibility of the UPA! Sir, let me bring it to your notice that we have watched the head on collision between the Petroleum Minister and the Disinvestment Minister. There was a head on collision between the two on the disinvestment of petroleum companies, and it was an open secret. Their dissent was in the newspapers, everyday. Where was the collective responsibility? Now, here, the two might have dissented, or may not have agreed on the proclamation of article 356 in Bihar; but they have accepted the decision of the UPA. Absolutely, UPA is a very disciplined group; they know the responsibilities. To this day, no one has behaved irresponsibly as we have witnessed during the NDA Government.

Bihar is that holy a State which has given birth to two great religions, Buddhism and Jainism 2,500 years back. We have read that in history. We remember the Great Ashoka, even after 2,500 years. And what has happened to this State? Sir, Bihar's total geographical area is 93.6 lakh hectares. Out of this, 56.03 lakh hectares area is cultivated. And out of this 56.03 lakh hectares, only 43.86 lakh hectares receive irrigation from different sources. Bihar's irrigation potential is 102.5 lakh hectares, but only a part of the potential is now being utilised. The rest flows into the adjoining States and inundating the residential areas during monsoon.

Sir, now the UPA Government has provided a special package to Bihar for the all round development of the State with emphasis on optimum utilisation of the natural resources. Under the President's Rule, the Government has the onerous responsibility of seeing to it that the fruits reach the common man. With eight crore population in Bihar, despite being the most politically conscious State in India, with the highest density of population, it has lagged behind in every conceivable aspect of development. The NDA is touting that Bihar is a major victory. The result clearly shows that the NDA has been firmly rejected and the electorate has been clever enough to give a thumping mandate for those candidates who contested on secular platform.

Sir, even the percentage clearly shows that secular forces or the UPA is far ahead of the NDA in terms of percentage of votes, or even number-

wise. What I feel is the people of Bihar should get a popular mandate and the Governor of Bihar has rightly done; I compliment the Governor who tried his best to find a solution, to install a popular Government. When he has failed, he has recommended to the Centre to invoke article 356. So, he got a little time and the can again try to bring a consensus, may not be from his office, but he can give time and the political parties may try to bring a stable Government. The leadership can get together to form a stable Government for the welfare and the betterment of Bihar. I think, before the end of five months, Bihar could get a stable and strong secular Government for the people of Bihar.

Thank you.

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, अभी यहां सभी पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया है कि विधान सभा चुनाव के बाद जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति बनी, उसमें राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। चुनाव के बाद ऐसा समझा जाता था कि जो समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, वह एक जगह इकट्ठी होंगी और कोई वैकल्पिक सरकार बनेगी, कोई लोकप्रिय सरकार बनेगी, लेकिन जैसा अभी कहा गया, इस बात की चर्चा हुई कि यू॰पी॰ए॰ के जो बहुत सारे सहयोगी दल हैं, वे भी आपस में बैठकर इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि किस तरह से एक वैकल्पिक सरकार वहां दी जाए।

उपसभापति जी, यह बात सही है कि विधान सभा का जो चुनाव हुआ था और लोगों ने उसमें जिस तरह से अपने मतों का, वोटों का इस्तेमाल किया था, उससे यह बात स्पष्ट थी कि वहां के लोग एक लोकप्रिय सरकार चाहते थे, एक ऐसी सरकार, जो जनता के द्वारा चलाई जाए, लेकिन जिस तरह का वर्डिक्ट वहां पर आया, जिस तरह से लोगों ने वहां पर खंडित जनादेश दिया, उसी का नतीजा है कि आज हमको वहां राष्ट्रपति शासन के विकल्प में जाना पड़ा है। लेकिन हमको उम्मीद है राष्ट्रपति शासन वहां ज्यादा लम्बे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि लोग इस बात की अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द वहां समान विचारधारा के तमाम लोग एकजुट होकर किसी लोकप्रिय सरकार का गठन करेंगे। ऐसी बिहार की जनता की भावना है और मुझे विश्वास है कि तमाम राजनीतिक दल भी इस बात पर जरूर विचार करेंगे, क्योंकि बार-बार किसी राज्य को चुनाव में ले जाना भी उचित नहीं है। फिर कोई गारंटी नहीं है, कोई पक्का नहीं है कि अगर हम दोबारा विधान सभा के चुनाव कराएं तो जो जनादेश आज आया है, उस तरह का जनादेश आगे आने वाले विधान सभा चुनाव में नहीं आएगा। इसलिए एक ही विकल्प है कि तमाम समान विचारधारा के लोग जमा हों। यह बात भी स्पष्ट है कि पिछले चुनाव में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां जो जनादेश हुआ है, वह एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए हुआ है। वहां के मतों के प्रतिशत पर यदि हम नजर डालते हैं तो यह बात साफ जाहिर होती है कि बी॰जे॰पी॰ और जनता दल (यू) को मिलाकर लगभग 25 प्रतिशत

वोट प्राप्त हुए हैं और बाकी 75 प्रतिशत वोट ऐसे दलों को मिले हैं, जिनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में है, चाहे वे छोटे दल हों, बड़े दल हों, चाहे उनका आपसी तालमेल न हो, लेकिन इसके बावजूद भी एक विचाराधारा का, धर्मनिरपेक्षता का जहां तक सवाल है, उस पर इन तमाम राजनीतिक दलों में आम सहमति है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह जनादेश एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन के लिए है, अब उसको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, इस पर तमाम राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए और सोच-विचार कर कोई कदम उठाना चाहिए। यह बात सही है कि बिहार की उपेक्षा होती रही। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो बिहार की भूमिका रही है और जैसा उसका इतिहास रहा है, उसके बारे में सभी लोग और सारा देश अच्छी तरह से जानता है। उस बिहार की दुर्दशा को कैसे सुधारा जाए, वहीं की गरीबी कैसे दूर हो, वहां बेरोजगारी की जो समस्या है, वह कैसे दूर हो, इसे देखा जाना चाहिए। आज बड़ी संख्या में लोग बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, जिसका जिक्र अभी किया गया है, चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो या जितने महानगर हैं, वहां मजदूरों की शक्ल में बिहार के नौजवान भटक रहे हैं और यह इसलिए हो रहा है कि बिहार की जो स्थिति है, खास तौर से झारखंड बनने के बाद जो शेष बिहार बचा है, आज उसके पास अपना कोई ऐसा आर्थिक ढांचा नहीं रह गया है, जिससे वहां के नौजवानों को रोजगार मुहैया हो सके।

जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हो रहा था, उस समय केन्द्र सरकार ने और केन्द्र सरकार की ओर से तत्कालीन गृहमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लोकसभा में इस बात का आश्वासन दिया था कि अब बिहार और झारखंड बनने के बाद, हम बिहार को और उसके आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज देंगे, लेकिन वह आर्थिक पैकेज आज तक नहीं मिला, जिसकी वजह से बिहार की जो दुर्दशा हुई, वहीं आज भी है। इसलिए हम यह चाहेंगे, स्वयं केन्द्रीय गृह मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं, वे इस बात का ध्यान रखें। सभी बातों की चर्चा हुई है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो अथवा बिहार का जो मूल ढांचा है, उस क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। इसलिए बिहार को कैसे फिर से दूसरे राज्यों के मुकाबले खड़ा किया जाए, इस बात की कोशिश करनी चाहिए। चूंकि हम बिहार को देश से अलग नहीं कर सकते। आज भी, बिहार के बंटवारे के बाद भी, जनसंख्या के मामले में बिहार का नम्बर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, देश के आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो बिहार को उससे किनारे नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन सभी बातों को पूर्ण रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार का जो बजट आएगा, उसमें इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा।

अंत में मैं राष्ट्रपति शासन का समर्थन करता हूं, चूंकि यह कहा गया है कि यह हमारी एक राजनीतिक मजबूरी है। कोई भी राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक व्यक्ति यह कभी नहीं चाहेगा कि लोकशाही में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, लेकिन इस बात की उम्मीद करते हुए कि आने

वाले समय में हम तमाम ऐसे दलों की स्वीकृति से, जिनकी विचारधारा आपस में मिलती हो, वहां जल्द से जल्द एक लोकप्रिय सरकार बनाएंगे और बिहार के लोगों को एक वैकल्पिक सरकार देंगे। धन्यवाद।

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, we are today talking about Bihar and imposition of President's Rule. Last Saturday, I think we were talking about Goa. A few Months ago, actually last year some time, we were talking about imposition of President's Rule in Manipur and a couple of years ago, some of us were demanding imposition of President's Rule in Gujarat. Now, the problem is that President's Rule is an emergency measure. It is not meant to be for normal Governments But it has been seen time and time again that what elections have thrown up in these rather fragile States are opportuniistic coalitions, which provide Governments but not governance. As a result of political calculations, Governmental coalitions are formed more or less above the heads of the people. In some cases what are ultimately emerging are not Governments but really some kind of political self-help groups, not for the help of the people but for the benefit of the Government itself. These Governments with very small majorities have been fragile, short-lived and unstable and that, Sir, is the major contradiction that we as a political class are required to resolve. Whether we are today discussing about imposition of President's Rule in Bihar or any other State is not the point. How do we fix the system? Whatever we may say today from the Government's side or from the Opposition's side, the fact of the matter is – whether in Bihar or in Jharkhand or in Goa – that the people have welcomed President's Rule.

Whatever we may say. The people are locking for deliverance. लोगों को राहत चाहिए। Don't our people deserve this? So what is the final solution to be delivered at the end of six months? I sincerely hope and pray, for the benefit of the people of Bihar, that the result has to be a stable Government that will benefit the people.

Sir, a question, sometimes, is raised as to where is the specific line where the Constitution can be considered to have broken down Where does it break down? Does it only break down when not-enough political parties are voted to power to provide a stable Government or does it break down when the law and order situation deteriorates to such an extent that

people's life and property are not secure or does it break down under other circumstances where governance cannot be exercised? To guard against these – these all have been debated in Parliament – our founding fathers, in their infinite wisdom, have included certain Articles in the Constitution itself. Article 356, of course, is the ultimate Article. But, before that, there are Articles 355, 256 and 257. These Articles have been placed there for a purpose. These have been misused. Agreed. As a result, what has happened is, even when they are required to be used, they are not used. The people, who are looking for good governance for a breathing space, do not get that breathing space. It is meant to give people a breathing space. To that extent, I support very strongly the imposition of President's Rule in Bihar. In this case, it is inevitable because of the fractured mandate, as we all have discussed. I think, in these six months' time – of course, it is a very transient period – if governance is to be given, our system of governance should come up with a coalition, a combination of political factors, of political parties, who will work for the benefit of the people of Bihar and give them a long-lasting stable Government. What we require, at this stage, if we have to take advantage of these six months, is to quickly appoint good and capable advisers. This is where we are losing time and through you, Sir, I urge upon the Government and the hon. Home Minister to see that good advisors are appointed at the earliest so that this break of six months can be used to stabilise, firm up the situation in Bihar so that the Government which comes to power after six months may get off on a sound-footing. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are only five minutes left. And, there are two more speakers. I request them to keep the time factor in their mind.

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह (बिहार): उपसभापति महोदय, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, उसके अनुमोदन के लिए सरकार जो प्रस्ताव सदन में लाई है, मैं उसके संबंध में अपनी राय रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपसभापति महोदय, इस सदन में जब कांग्रेस के माननीय सदस्य आनन्द शर्मा जी बोल रहे थे, तो उन्होंने डिग्निटी और कंडक्ट की चर्चा की थी, यह मुझको बहुत अच्छा लगा।

इस सदन में कई बार ऐसे विषयों पर चर्चा भी होती रही है। लेकिन बिहार में राष्ट्रपति शासन जिस ढंग से लागू किया गया और क्यों किया गया, यह प्रश्नों के घेरे में खड़ा हो गया है। लागू किया गया क्योंकि यूपीए में शामिल दलों ने ही कुछ ऐसी स्थिति बिहार में पैदा कर दी जिससे सरकार के पास राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गयी। यदि उन लोगों ने अपने धर्म का पालन किया होता

तो शायद राष्ट्रपति शासन नहीं लगता। एक तो उन्होंने सरकार नहीं बनायी और दूसरे दलों को सरकार बनाने का मौका भी नहीं दिया — एक विचित्र राजनीति देखने को मिल रही है। उपसभापति महोदय, सुविधा और सहूलियत की राजनीति तो इस देश में होती है लेकिन सुविधा और सहूलियत की राजनीति जब परम्पराओं, मान्यताओं और मूल्यों को तोड़ने में सहायक हो जाती है तो यह देश के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। उपसभापति महोदय, मैं एक भोजपुरी इलाके से आता हूं। वहां एक कहावत है जिसकी बार-बार लोग चर्चा करते है। ''न खेलब, न खेले देब, खेलिए बिगाड़ देवि।'' इसका मतलब यह हुआ कि न खेलेंगे, न खेलने देंगे और खेल भी बिगाड़ देंगे। यही स्थिति यूपीए के घटक दलों ने बिहार में करने का काम किया है। राम विलास जी ने लालू जी के खिलाफ जनता के बीच में जाकर बार-बार कई सवालों को उठाकर लोगों से वोट लेने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने भी गंभीर रूप से, बिहार में जिस ढंग से शासन की व्यवस्था चल रही थी, उस पर प्रहार करने का काम किया। मैं मानता हूं कि राजनैतिक दलों को चुनाव अपने ढंग से लड़ने का अधिकार है लेकिन जो coalition partners हैं, उनके कुछ राजनैतिक धर्म भी होते है। जो coalition partners हैं, उनके लिए आचार-संहिता की बातें भी कुछ महत्व रखती है। जो coalition partners हैं, उनके कंडक्ट का असर भी आम जीवन पर पड़ता है। क्या इसमें से किसी का भी पालन हुआ है? एक मंत्री और उसके सहयोगी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाएं और एक मंत्री कहे कि दूसरे मंत्री को चुनाव के बाद निकलवा देंगे तो कौन सा यह कंडक्ट, देश की आम जनता और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करेगा? उपसभापति महोदय, लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है और इस जीवन पद्धति में कुछ मर्यादाओं का पालन करके ही लोकतंत्र को समद्धि और आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है बिहार में जो कुछ हुआ हैं, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले तबके के ऊपर, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों के दिल और दिमाग पर कुछ प्रश्न खड़ा करने का काम कर दिया है। आज मैं इंग्लैंड का उदाहरण नहीं देना चाहता, न मैं डाल्टन का उदाहरण देना चाहता हूं, न प्रफ्यूमो स्कैंडल में मैकमिलन का, न अमेरिका एगन्यू के जॉर्ज का, न निक्सन का — ऐसी बड़ी घटना जो विदेश में हुई है, उसकी उदाहरण नहीं देना चाहता — लेकिन वह परम्परा उससे संबंधित है। वह राजनैतिक मूल्यों से संबंधित है और इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी मैं उदाहरण नहीं देना चाहता लेकिन सरकार में शामिल दलों के लोगों के ऊपर, सरकार में शामिल प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्रियों तक के कंडक्ट से देश के लोगों के बीच में लोकतंत्र के प्रति और सरकार संचालन के प्रति एक आस्था जगती है, एक विश्वास जगता है। बिहार में इसी विश्वास को धोखा देने का काम किया गया है। बिहार में इसी विश्वास के ऊपर एक गहरा प्रश्न चिन्ह पैदा किया गया है। यह प्रस्ताव उसी का परिणाम है। अभी बार-बार धर्मनिरपेक्ष सरकार, कहा गया। धर्मनिरपेक्षता पर इस देश में बहस में कहां कोई डिफर कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता इस देश का ऐसेट है। वह रहेगा, इसे कोई चुनौती देकर अलग नहीं हो सकता है। यह इस देश की पूंजी है कि हरेक वर्ग और समुदाय के लोग इस देश में एक ढंग से जीने के हकदार हैं, इस पर कहां किसी को मतभेद हो सकता है।

लेकिन एक बात तो सोचनी पड़ेगी कि coalition सरकार तो अटल बिहार वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी चली और coalition गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भी चली। जब एक तरह की सरकार इस देश में स्थायी रूप से लंबे काल तक नहीं चल सकती है, तो coalition पार्टनर्स के कोड ऑफ कंडक्ट पर भी निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए, वरना बिहार ही नहीं, देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।

उपसभापति महोदय, दो और महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिनकी बराबर चर्चा चली है। एक सवाल राम विलास जी ने उस समय कहा था, जिसकी चर्चा मैंने कर दी थी। बड़े विचित्र सवाल हैं! उन्होंने कहा डिक्टेटिंग terms पर दूसरे लोगों को सरकार बनाने के लिए कह दिया कि इन शर्तों पर बिहार में सरकार बनाई जा सकती है। तर्क और बहस के आधार पर राजनीति में निर्णय लिए जाते हैं, राजनीति में कभी डिक्टेशन के आधार पर निर्णय नहीं होते हैं, यही सवाल है।

उपसभापति महोदय, इसी बीच में दो और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आए और चूंकि एक केन्द्रीय मंत्री ने उस सवाल को उठाया है, इसलिए मजबूरन मैं उस पर अपनी राय रख रहा हूं। गवर्नर के पद पर कुछ सवाल उठाए गए हैं। इस देश में पहले भी गर्वनर के पद पर बहस चली और आज भी इस बहस को चलाने में कोई हर्ज नहीं है। गोवा और झारखंड की घटना के बाद, यदि सारे देश में गवर्नर के पद पर बहस करने की बात चल जाए तो लोकतंत्र का भला हो सकता है, राज्यों का भला हो सकता है कि आगे भी गवर्नर की किस ढंग की भूमिका हो। इस पर किसी गवर्नर को कह दिया जाए कि इसके खिलाफ बात कुछ खास कारणों से कही गयी है।

किसी मंत्री ने कहा कि अमुक नेता ने बात कह दी, नीतिश जी गवर्नर के खिलाफ है,एक बड़ी विचित्रता इसमें लगती है।

उपसभापति महोदय, बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात है, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है और वह बिहार में शासन और व्यवस्था को नए सुचारू रूप से और कायदे से चलने की। एक White Paper, केन्द्र सरकार को बिहार के विषय में भारत की जनता के सामने और बिहार की जनता के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। शासन कम दिनों तक चले, यही अच्छा है, लेकिन बिहार में राष्ट्रपति शासन कम दिनों तक चलेगा, इसकी संभावना कम से कम मुझको अभी खास नहीं दिखाई दे रही है। कम दिनों तक चले, यहीं बिहार के लिए अच्छा है, क्योंकि कभी भी राष्ट्रपति शासन, एक चुनी हुई सरकार से बेहतर शासन हो सकता है, इसको मेरा मन कभी मानने वाला नहीं है और अधिकांश साथियों की इस पर सहमति भी है।

स्व० जयप्रकाश नारायण जी का, इसी बिहार में, जहां आज राष्ट्रपति शासन लागू है, उन्होंने, जब बिहार आंदोलन की शुरूआत हुई थी, तो एक बात बड़े महत्वपूर्ण रूप से बिहारवासियों के लिए लिखी थी कि मेरा बस चले तो बिहार के हुक्मरानों को मैं उन झोंपड़ियों में जाने के लिए विवश कर दूं, जहां झोंपड़ियों में रोशनी नहीं जल रही है और रोटी के सवाल हल नहीं हुए हैं। कौन से

सलाहकार बिहार में राष्ट्रपति शासन के दरमियान होंगे? कम से कम सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि किस ढंग से वे बिहार में राष्ट्रपति शासन का संचालन करेंगे? आरामदेह घरों में और आलीशान भवनों में बैठकर बिहार की बदहाली का कोई मुकाबला कर सकता है - यह नहीं हो सकता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी सलाहकार जाएं, उन सलाहकारों को एक खास ढंग से निर्देशित करना चाहिए कि सीधे साफ तरीके से बिहार के प्रशासन को चलाने का प्रयास आपको करना चाहिए, इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री एकनाथ के० ठाकुर (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं। बिहार के बारे में मैं बड़ी वेदना, संवेदना और दुख-दर्द के साथ इस बहस में कुछ कहने जा रहा हूं। मुम्बई का एक आदमी बिहार के बारे में कुछ कहे तो कई लोगों के दिल में प्रश्न उठते हैं।

प्रमोद महाजन जी ने कुछ दिन पहले इस सदन में कहा कि पटना में जितने बिहारी नहीं रहते, उतने मुम्बई में रहते हैं। मैं भारत के और महाराष्ट्र के कौंकण भूभाग से आता हूं। कोंकण रेलवे में कौंकणी लोगों से ज्यादा बिहारी हैं। हम हर रोज बिहारी दोस्तों के साथ दिन और रातें बिताते हैं। जब हम बिहार की हालत को देखते हैं तो कभी खुद पर तो कभी बिहार पर रोना आता है। भारत की आबादी में बिहार की आबादी 12 प्रतिशत है। वह केवल एक भूभाग नहीं है, बल्कि एक बड़ा राज्य है, जिसका पुराना इतिहास है। जिसको एक बड़ी ऊंची संस्कति का आदर्श माना जाता था, ऐसा यह राज्य है। बिहारी लोग होनहार और होशियार हैं। इसलिए आपने भी देखा होगा कि हमारी पार्टी बिहारी लोगों का आज तक समर्थन करती आ रही थी। ...**(व्यवधान)**... मैं आज भी उनका समर्थन कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... मैं बिहार के बारे में इसलिए बोल रहा हूं ...**(व्यवधान)**... सर बिहार में जी०एस०डी०पी० का जो बढ़ावा रहा, वह अस्सी से नब्बे तक के दशक में 4.20 रहा और नब्बे से आकर आगे कुछ हुआ, पन्द्रह साल में एक राज चला। जो 4.20 था वह* में चला गया। मैं यह बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, मजाक में नहीं कर रहा हूं। इन पन्द्रह साल में क्या कुछ नहीं हुआ? रेप, आरसन, लूट, मर्डर, एबडक्शन, किलिंग, मेहम, कम्युनल रायट्स all kinds of heinous crimes were committed in the name of governance. ...(*Interruptions*)... हां, मैं मुम्बई के बारे में ही बोल रहा हूं। वहां हमारे राज्य में एक भी कम्युनल रायट नहीं हुआ। बिहार एक दुकान बन गई, एक प्रोप्राइटरशिप बन गई, जैसे मालिक हो, उसकी बीवी हो, उसके साले हों और वे दुकान चलाते हैं ...**(व्यवधान)**... बाला साहेब ठाकरे को, कहने का आपको अधिकार नहीं है। बाला साहेब का वहां कोई साला नहीं था। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप इनको बोलने दीजिए।

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री एकनाथ के॰ ठाकुर: वे राज चलाते थे। ...(व्यवधान)... हां, यह तो है, दुकान बन गई थी। इस दुकान ने बिहार की पूरी बर्बादी कर दी। जिन लोगों ने बिहार की बर्बादी की, उनकी घोर निंदा होनी चाहिए। इसी राज्य में, मैं वहां कुछ कोचिंग क्लासेज चलाता हूं, एक आदमी आया, एक लड़का आया और मुझसे बोला कि एक तो लिव मुम्बई में होता हैं, as I live होता है।

यहां बराबर बिहार में उल्टा होता है। यहां कोई लिव नहीं करता है, एलआईवीई नहीं करता है। You have to spell this word 'backward'. It is 'evil' here. ये बातें चलती रहीं। आज भी वहां के बड़े-बड़े नेता, इस सर्वोच्च सदन में रणनीति की बात कर रहे हैं, जबकि आज उनको जननीति की बात करनी चाहिए थी। आज किसी भी बिहार के नेता ने इस सदन में जननीति से बात नहीं की, बल्कि रणनीति से बात की है। उनका झारखंड में सब कुछ चला गया है। ...(व्यवधान)... हां, ऐसे ही रणनीति से निकाल दिया। उनकी रणनीति ज्यादा हो गई इसलिए उनको निकाल दिया। जब तक उनकी जननीति ठीक थी, तब तक उनको रखा था। यहां सैकुलरिज्म की बातें हो रही हैं। बिहार की जनता को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, एक अच्छी सरकार और युवा पीढ़ी को रोजगार चाहिए। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, kindly ask him to withdraw it

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am already looking at it even before you say so.

श्री एकनाथ के॰ ठाकुर: हम बोलते हैं कि जब महाराष्ट्र में पांच साल हमारी सरकार थी, तब हमने चार प्रतिशत से साढ़े बारह प्रतिशत तक अपने जी.एस.डी.पी. का बढ़ावा किया था। हमारी शिव सेना-भाजपा की सरकार रही थी। साढ़े चार परसेंट से ...(व्यवधान)... आठ प्रतिशत जी. एस.डी.पी. बढ़ रहा था, वह सारा ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Thakur, you have mentioned the word*. That you have to withdraw.

SHRI EKANATH K. THAKUR: I have said, Sir, that the rate of growth was 4.20. It is in the Planning Commission's report.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please remove the word.

SHRI EKANATH K. THAKUR: As per the Planning Commission, the growth rate was 4.20. उसके बाद पंद्रह साल* ऐसा बोलो ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: नहीं, यह वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था।

श्री एकनाथ के॰ ठाकुर: उपसभापति जी, जो जनादेश आया है ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर ...(व्यवधान)...

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री उपसभापति: वह निकाल दिया है ...(व्यवधान)... Mr. Narayanasamy, that has been removed.

श्री एकनाथ के॰ ठाकुर: उपसभापति जी, जो जनादेश आया है, यह कोई आकाश से नहीं आया है, यह आसमान से नहीं गिरा है। लालू जी उस दिन तक, आखिरी, दिन तक, जब तक वरडिक्ट आई, तब तक पूरा बिहार मेरे साथ है, ऐसा समझकर चल रहे थे। वैसे वे छट पूजा भी अपने स्विमिंग पूल को समन्दर समझकर करते हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: समाप्त कीजिए।

श्री एकनाथ के॰ ठाकुर: उसके बाद यू.पी.ए. सरकार की एक जिम्मेदारी थी, पर सर, उसमें यू.पी.ए. सरकार नाकाम रही। मैं बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से आता हूं। मैं इस यू.पी.ए. सरकार को यू.पी.ए. सरकार नहीं कहता, मैं इसे एन.पी.ए. सरकार कहता हूं। एन.पी.ए. सरकार इसलिए कहता हूं क्योंकि इनके मंत्रिमंडल में दोनों मंत्री होते हुए भी, ये उन्हें इकट्ठे नहीं ला पाए। दूसरी बात यह है कि गवर्नर रूल एनाउंस किया, लेकिन एडवाइजर अपोइन्ट नहीं कर पाए। उपसभापति जी, पैकेज से कुछ नहीं होगा, बिहार के लिए एक गुड गवर्नेंस की आवश्यता है, एक अच्छी सरकार की आवश्यकता है और इसके लिए आवश्यक है हमारे अच्छे नीतीश कुमार। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ आश्वस्त करना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: शत्रुघ्न जी का क्या होगा ...(व्यवधान)...

श्री एकनाथ के॰ ठाकुर: उनको छोड़िए ...(व्यवधान)... उपसभापति जी, मेरे प्रस्ताव पर ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ... ...*(Interruptions)*... ...

एक माननीय सदस्य: उपसभापति जी, मेरा प्रश्न है ...(व्यवधान)... इस चुनाव के बाद सात दिन तक उनको जबर्दस्ती रखा गया **व्यवधान).** उसके बाद वे अपने को ...(व्यवधान)... फेस नहीं करते ...(व्यवधान)... उन्होंने वापस ले लिया ...(व्यवधान)...

श्री एकनाथ के॰ ठाकुर: उपसभापति जी ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री एकनाथ के॰ ठाकुर: उपसभापति जी, मैं बैठ रहा हूं। मैं आपका आभारी हूं। अगर मेरे प्रस्ताव का सदन समर्थन करे तो वह हो जाएगा। धन्यवाद।

प्रो॰ राम देव भंडारी: उपसभापति जी, बिहार के प्रति इनका गुस्सा कुछ उचित लगता है क्योंकि चुनाव में बिहारियों की वजह से इनकी बड़ी दुर्गति हुई है।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I have heard the speeches made by the hon. Members quite carefully. I would not like to go by their words and a few points which they made in their statements. I would like to go by the sum and substance and the essence of their speeches. In my opinion, almost all the Members have said that there was no alternative in the situation in which Bihar found itself after the elections, and that is was necessary to impose the President's Rule over there. They have said that let not President's Rule continue for a very long time. After the elections, it is necessary to form the Government with the help of the elected representatives.

And it is not good to let President's Rule continue for a long time. They have also said that Advisors must be appointed. They have said that the Government there must be a good Government. Then, they did not approve of the idea of imposing President's Rule every now and then under article 356.

All these points, which have been made, are very vaild points and it is not necessary for anybody to quarrel with them. I am certainly not going to quarrel. But I am going to say, at the beginning itself, that I accept all the statements which have been made by the hon. Members in this debate. It is not necessary for the House to get divided on these points and I do accept their statements.

Sir, elections took place and, unfortunately, no political party could get a majority. It was also not possible to see that more parties could come together and form the Government. I think, one or two hon. Members made a mention about a minority Government. Yes, in some cases, minority Governments were formed in the past and were continued, too. But when we think of minority Governments, one of the most important points which we have to bear in mind is that the difference between the requisite majority and the minority should not be too big; only then it becomes possible. And, unfortunately, this situation also did not prevail in Bihar and, that is why, a minority Government could also not be formed.

Sir, we would like to submit that in this situation, it became necessary for the Governor to recommend to the President that President's Rule be imposed in Bihar and President's Rule has been imposed in Bihar. But, I would like to make one point very clear. We are not very happy to impose President's Rule in Bihar. Let there be no doubt in the minds of any of the Members of the House; we are not happy. After the elections, we would have been happy if Government would have been formed by the elected

representatives. That was not possible and, that is why, President's Rule was imposed. But we cannot take pleasure in saying, 'look, we did this'. We are not happy about it. I wish to assure this House that we would not like to see that President's Rule is continued for a long time. The sooner it disappears, the better it would be, for Bihar, for democracy and for the system that we are following in our country But, who is to take the steps in this respect? It is the elected representatives who have to take the steps in this respect. The Governor can ask them and request them, and I would also like to request in this House, that the elected representatives should talk to each other and create a situation in which it becomes possible for them to form a Government. Even if it is a minority Government with a slight margin, there is no problem. But if there is a big difference between the numbers of the minority and the requisite numbers, then there would be a problem. That is why, we would expect that the elected representatives of the people would see that it is necessary for them to form a Government, would agree to form a Government, and would form a Government.

Certainly, the Governor there could help and we all will be happy about it. Sir, we have been asked to provide good governance for the period for which President's Rule is there. Well, we would certainly like to see that the governance there is a governance which is acceptable to the people, and in this respect, I would like to make a submission: all the good things which were done by the previous Government, will be continued. We will not undo those good things, but there is always a scope for thinking and doing better. Now, wherever it is possible, attempts would certainly be made to see that every moment, at every level and in every Government, there is a scope for improvement and we will certainly try to take the help of the people who have the experience of governing in that State, experience of the officers and experience of the elected representatives and would like to see that the governance there becomes more and more acceptable to the people.

One of the points, which were made by many of the Members here in the House, related to the appointment of the Advisors. We would certainly appoint the Advisors and we would like to see that the Advisor, who would go there, would not also give an opportunity to some of us to say that he should not have gone there and he should have gone there. That does not help. There is no law which says that the Advisor should be appointed. There is no provision in the Constitution for the appointment of the Advisors. At least, I have no knowledge about the provisions of any of the laws which require the appointment of the Advisors. Advisors are appointed if they are

necessary. And Advisors, sometimes, come from the same State, sometimes come from outside the State and when they come from the State, people have opinion about them and when they come from outside the State, they say that they will take some time to understand the situation over there. Someone will say that he should not have gone there; someone will say that someone else should have gone there. Advisors, themselves, should not become a bone of contention, a point on which a controversy can be created. But, we would like to see that whatever is necessary in this respect, is done and there is no controversy, at least, there is no scope for a real controversy in this respect.

One of the points, which were raised by the hon. initiator of the debate here, related to the 'collective responsibility' and I am happy that on this point, at that moment also, many Members got up from their seats and they did make their views clear. What is collective responsibility? If any decision is taken by a Government, that decision, whether it is acceptable or not to all the Members, the consequences of that decision cannot be denied by those who are in the Government. That is collective responsibility. Any decision taken by the Government will give rise to certain consequences. Something will emanate out of that decision and nobody, who is in the Government, would be required to say, or, would be allowed to say that he is not responsible for it. That is collective responsibility. The essence of democracy is that we hold different views and we express our different views and it is not always possible for us to hold the same kind of views, identical views and yet, when the decision is taken, whether the decision is based on the views expressed by A or B or C, or, A,B,C, if they are in the Government, they are saying that they are responsible for that decision. This is exactly what is happening. But, some people are trying to make use of the situation, and I am very happy to say that the Members of the Government are experienced politicians; they understand the realities that exist; they understand the realities that exist in Bihar and in other places also.

And, if they are in a position to form the Government, we would be happy, they would be happy. But, supposing, the Government is not formed, and, supposing, they thought that the Government should have been formed there—can we find a fault with them? If, as mature, experienced and wise politicians, they say that in the circumstances, this was to be done, and, this is done, and, if they are saying that, can we find fault with them? If the political parties are trying to make use of this unfortunate situation, or, this difficult situation, if not unfortunate, well, that is politics and that is not

constitutional provision. That is not real, correct politics also, and, that is why, I am saying that the members of the Government, present Government at Delhi, at the national level, have made it very clear that whatever may be the situation, we will try to find a solution out of it, but we will not allow that situation to create problems for the Government at the national level. They have made it very clear, and, nobody can appreciate more than we who are there and who are given the responsibility to carry the obligation of providing governance in the country.

I do not want to go into the academic discussion on the problem of collective responsibility. People are trying to find a point on which they can express their views as the Members of the Opposition. Well, that kind of pleasure should be allowed to them. But that is not creating problems for us, and, we are not facing any problem. If you have any pleasure in thinking that you can criticise in this fashion, we would not like to deny you that pleasure.

Sir, now, I come to President's Rule, article 356 of the Constitution of India. Why is article 356 there in our Constitution? The framers of the Constitution visualised that there could be a situation in which the Government would not be run by the State. And, in those situations, it should be possible for the Government of India to step in and carry on the administration in the State. That is what they had visualised, and, that is why article 356 was provided.

Our experience of the last more than 50 years shows that situations of this nature did arise many times in our country, and, it became necessary for us to provide President's rule in the States. You take this case. In this case, what could we have done? After the elections, if the Government could not be formed, if the Budget that were to be passed and if it could not be passed by the Legislative Assembly of Bihar, there would have been a constitutional crisis, and, to overcome that constitutional crisis, article 356 has come very handy. It was necessary. This point was discussed by many, and, those who have the experience of governing at different levels have also in one voice said, use this article very sparingly, very carefully not in all cases but don't see that this article goes out of the Constitution. They are for retaining this provision in the Constitution; they are not for giving it up.

So, Sir, I would say that we are one with all the hon. Members who say, don't use this provision every now and then without applying your mind to the consequences which can flow out of using this provision of the

5.00 P.M.

Constitution. We would be very careful, and, only when it is necessary, it would be used.

We have used this provision in the Constituion and probably all the Members in this House, that House, and, outside also have come to a conclusion that we have not used too often. One of the most important points which were made here, and, to which some objections were also raised by some Members on both sides, relates to secularism. What is the result given in Bihar? Is it not in favour of secularism? People may belong to different parties but the parties, which subscribe to the philosophy of secularism, have got elected in majority.

Let this not be forgotten. What is secularism? People are taking objection to this word 'secularism', this philosophy, and this attitude towards life. What is secularism? In my opinion, secularism is in the ethos of India; it is in the ethos of the people of India. 'In the ethos of the people of India,' I am making it very clear. Those who think that the ultimate essence of all non-living things and living things is one and the same, do subscribe, in the ultimate analysis, to the principle of secularism. It is in the ethos of India; it is certainly in the Constitution of India; in very clear terms, in the body and the Preamble of it. The principle of secularism has been accepted and it is not possible for us to say that we will not go by what is provided in the Constitution itself. Can any Member sitting here say that he does not accept the principle of secularism, even if it is in specific terms mentioned in the Preamble of the constitution and the body of the Constitution? Nobody can say that. Even those who are criticising, who are cynical about the world 'secularism', those who are not in their heart of hearts accepting in totality the principle of secularism, have been stating that they are also secular. They also say that they are secular. But then they say that they are 'secular' and we are 'pseudo secular'. I do not understand why this kind of trick is being played on. ...(*Interruptions*)..

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: That is the 'politics of secularism,' I talked about. I also believe in secularism, but we are against the 'politics of secularism'. ...(*Interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: If you are cynical about secularim. If you do not accept the principle of secularism, which is mentioned in the Constitution, if you criticise those people, if you poke fun at the people who use the word 'secularism' then can we in reality accept that you are also secular? That is the question. For political reasons, for showing it to

the people, you may say that yo are secular. But you ask yourselves whether you have understood the Indian ethos, or the Indian Constitution, or the philosophy of secularism correctly I doubt it When you say about pseudo secularism, this word 'pseudo secularism' opens your heart to the people and bring the reality which is hidden inside, and that hidden reality is not the acceptance of the principle of secularism. What is secularism? What is secularism? Secularism is nothing but tolerance. If you are secular. .(*Interruptions*) .

SHRI EKANATH K. THAKUR: You cannot tolerate the enemies of the nation in the name of secularism . . (*Interruptions*) ..

SHRI B K HARIPRASAD You are not authorised to give the certificate.

SHRI SHIVRAJ V PATIL. Sir, the principle of secularism is based on the principle of tolerance. You accept your own principles, but you tolerate, not only tolerate but you respect, the principles which are near and dear to others That is secularism Non-acceptance of religious philosophy is not secularism, tolerance of religious philosophy, not disrespecting religious philosophy, is secularism And tolerance comes when your heart is broad and wide; it is comprehensive; it has scope and it has place for all kinds of philosophies and all kinds of attitudes of life in your heart. That is secularism This is exactly what was taught by Buddha in Bihar. Buddha taught balance and secularism and nothing else Buddha did not accept the principle of extreme position He taught balance and tolerance. That is Bihar. And, in Bihar, this has happened I do think that Bihar is one of the most important States in India What kind of land it has! What kind of water resources it has! What kind of wealth it has! And what kind of people are there!

That is the land where Buddha's philosophy was born, that is the place where the forces for uniting the country came from that is the place from where, as one of the Members said, Kautilya's philosophy came. At this place, this has happened We are not happy. Again I would like to repeat. ... ...(*Interruptions*).

SHRI S.S. AHLUWALIA: Don't ignore Lord Mahavira, don't ignore Guru Gobind Singhji. All are from Bihar. . .(*Interruptions*)... This is your secularism. When you name a person, who is not of your choice, people shout like this This is very unfortunate

SHRI SHIVRAJ V PATIL: I would include all these great souls of Mahatmas—Buddha and Jain. I could not have named all the persons who have been there right from Mahavir to Ahluwaliaji

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am not saying, 'mention my name'. But at least when you are mentioning Lord Buddha, you must acknowledge Lord Mahavira and Guru Gobind Singh*ji*.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I do accept and I thank you for the correction. ...(*Interuptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has accepted ... ...(*Interruptions*)... ... There is no argument on this. Mr. Ahluwalia, ...(*Interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: This is how, Sir, those who do not really believe in secularism in their heart of hearts, try to divert the attention to something which is divisive. When I mentioned Buddha, was I saying anything against Mahavir Jain, was I mentioning anything against Guru Gobind Singh*ji*? (*Interruptions*).. This is a trick played by the people who do not believe in secularism and we have to be very, very particular about secularism ...(*Interruptions*)...

Sir, including Ahluwalia*ji*, all the Members have supported this Proclamation and I thank them very much and I request that the Proclamation be passed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion to vote. The question is:

That this House approves the Proclamation issued by the President on the 7th March, 2005, under Article 356 of the Constitution in relation to the State of Bihar.

The motion was adopted.

PAPERS LAID ON THE TABLE— (CONTD.)

Notification of the Ministry of Finance

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I lay on the Table under sub-section (7) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue), Notification No.30/2005-Customs dated the 21st March, 2005, seeking to impose final anti-dumping duty on Mica, Pearl, Pigment, originating in or exported from the People's Rebublic of China, Japan, United States of America and the European Union, at the rates recommended by the Designated Authority, along with an Explanatory Memorandum thereon. [Placed in Library. *See* No. L.T.....1818/05]